


अंक 7 वर्ष 3

विकास-पथ

वर्ष 2016-17



मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(रेल मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम)

www.mrvcl.indianrailways.gov.in

एमयूटीपी-III, नये राम मंदिर स्टेशन व अन्य स्टेशनों पर सुविधाओं का उद्घाटन



दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी द्वारा एमयूटीपी-III का उद्घाटन किया गया।



नये राम मंदिर स्टेशन का उद्घाटन करते हुए माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभू



दिनांक 22/08/2016 को दादर से अंधेरी का हार्बर प्लेटफार्म, गोरेगाँव का बुकिंग ऑफिस और पदचारी पुल तथा वसई रोड व नालासोपारा स्टेशन के एस्केलेटर का उद्घाटन करते हुए माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभू।



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से

प्रिय साथियों,

एमआरवीसी की गृह राजभाषा पत्रिका 'विकास-पथ' के सातवें अंक के प्रकाशन पर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सहकर्मियों के साथ संवाद बनाये रखने के कई माध्यम हैं तथा 'विकास-पथ' का महत्व एक सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं पारस्परिक सहयोग के लिए आवश्यक है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मुंबई) उपक्रम द्वारा आयोजित छःमाही बैठकों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें मेरा अनुभव रहा कि जटिल तथा तकनीकी विषयों पर राजभाषा में प्रस्तुति करना कोई कठिन कार्य नहीं है, अपितु इसे बहुत ही सरल शब्दों में अत्यंत सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। हिंदी में महारत हासिल विद्वानों के वक्तव्य से स्पष्ट हो चुका है कि राजभाषा कार्यान्वयन से भी संस्थान को अतिरिक्त उचाई पर ले जाया जा सकता है।

पिछले अंक का प्रकाशन बहुत ही उच्च कोटी का था जिसे नराकास के सदस्य उपक्रमों द्वारा सराहा गया। इस अंक में भी पाठकों को एमआरवीसी के पिछले व अग्रिम विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी के साथ अन्य सामग्री भी मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी यह कॉर्पोरेशन इसी तरह पाठकों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

प्रभात सहाय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



निदेशक (परियोजना) का संदेश

प्रिय साथियों,

सरकार द्वारा विभिन्न प्रभावशाली योजनाओं के व्यापक विस्तार में हिंदी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। हम अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से राजभाषा कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों से छुटकारा पा सकते हैं। इस दिशा में एमआरवीसी की राजभाषा पत्रिका 'विकास-पथ' अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है।

सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपना दैनिक कार्यालयीन कामकाज राजभाषा में करने का प्रयास करना चाहिए तथा अपने अधिनस्थों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय मंच से राजभाषा में संवाद करना यह दर्शाता है कि देश के ग्रामीण इलाकों से लेकर विदेशों में भी संपर्क हेतु राजभाषा का सरलता से प्रयोग किया जा सकता है।

मैं आशा करता हूँ कि 'विकास-पथ' के इस अंक में छपी जानकारियों से एमआरवीसी के सभी कर्मचारी व अधिकारी लाभान्वित होंगे।

मैं अपनी ओर से 'विकास-पथ' की समस्त टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ।

आर एस खुराना
निदेशक (परियोजना)



निदेशक (वित्त) के विचार

साथियों,

आज के वैश्विक एवं उदारीकरण अर्थव्यवस्था के युग में नई पीढ़ी को अपनी भाषा के साथ जोड़ने के प्रयोजन से यह आवश्यक है कि राजभाषा एवं भारतीय भाषाओं में पर्याप्त साहित्य और वैज्ञानिक तथा दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध हो। आज की पीढ़ी हर तरह की सूचना एवं जानकारी इंटरनेट से ही खोजती है। दूसरी भाषाओं की अपेक्षा इंटरनेट पर हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में सूचना व साहित्यिक सामग्री बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है।

इसलिए वर्तमान में यह बहुत आवश्यक है कि भारत सरकार के सभी कार्यालयों / उपक्रमों / संस्थानों व निजी संस्थानों द्वारा अधिक से अधिक लाभदायक सूचनापरक एवं ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध करवाई जाए ताकि राजभाषा का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो सके।

किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति न केवल अपनी भाषा में ही संभव है अपितु अपनी भाषा के प्रति प्रेम को भी मजबूत बनाती है। अपनी भाषा में मौलिक लेखन से अभिव्यक्ति सरल, सहज और स्वाभाविक होती है और ऐसा अनुवादित भाषा के माध्यम से संभव नहीं है।

मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को 'विकास-पथ' का यह अंक अवश्य पसंद आएगा।

बी के मेहरा
निदेशक (वित्त)



निदेशक (तकनीक) का संदेश

प्रिय साथियों,

यह निर्विवाद सत्य है कि हमारे देश में जिस दिन शत-प्रतिशत सरकारी कामकाज राजभाषा में होने लगेगा उसी दिन हमारी 'विविधता में एकता' स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें भारतीय जनमानस की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है। हिंदी ने अपनी मौलिकता एवं सरलता के बल पर ही भारतीय संस्कृति और साहित्य को जीवंत बनाए रखा है। हिंदी भाषा ने ही संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर 'अनेकता में एकता' की भावना को आम जनता में निरंतर जागृत बनाए रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि यह भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक है तथा इसकी अपनी मानक शब्दावली, व्याकरण और शैली है। राजभाषा में जहाँ सरसता है, वहीं इसका शब्दकोश व्यापक एवं समृद्ध है।

मुझे पूरा विश्वास है कि इस पत्रिका के प्रकाशन से राजभाषा के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग को बढ़ाने में विशेष सहायता प्राप्त होगी।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी ओर से संपादक मंडल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

रवि अग्रवाल
निदेशक (तकनीक)



संपादकीय

समय और मनुष्य का साथ शाश्वत है। मनुष्य आकलन करता है कि हम कल से कितना आगे निकल चुके हैं। हमारी दिशा, दशा क्या है और जीवन मूल्यों की क्या स्थिति है। हिंदी साहित्य का विहंगावलोकन करें तो हमें अपनी लेखनी पर गर्व का अनुभव होता है कि वस्तुतः हम मनुष्यता के पक्ष में ही लिख-पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य का संसार ही मानवता के हित में पूर्णतया समर्पित है। 'वसुधैव कुटुंबकम्' कार्य कर रहा है, जो निश्चित ही प्रशंसनीय है।

साहित्य ज्ञान, अमृत कोश का ही दूसरा नाम है क्योंकि इसमें सब तरह के भावों को प्रकट करने की क्षमता होती है। भाषा की शोभा, संपन्नता, मान-मर्यादा का एकमात्र अवलंब साहित्य ही होता है। चाहे वह सामाजिक शक्ति हो या सभ्यता इसका एकमात्र निर्णायक साहित्य रूपी आईने में ही सभ्यता, सजीवता का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है।

'विकास-पथ' का अगामी अंक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आपके सुझाव, प्रतिक्रिया की हमें अपेक्षा रहेगी।

अलका मिश्रा

मुख्य कार्मिक अधिकारी

व

मुख्य राजभाषा अधिकारी

विकास-पथ

वर्ष 2016-17

संरक्षक

प्रभात सहाय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर. एस. खुराना
निदेशक परियोजना

संपादक

अलका मिश्रा
मुख्य कार्मिक अधिकारी व
मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल

स्मृति ज़ेकब
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

अनुपम शर्मा
मुख्य कल्याण निरीक्षक

प्रकाशक

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2री मंजिल, चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग,
चर्चगेट, मुंबई - 400020.
वेबसाईट www.mrvvc.gov.in

अनुक्रमणिका

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की कलम से.....	1
निदेशक (परियोजना) का संदेश	2
निदेशक (वित्त) के विचार	3
निदेशक (तकनीक) का संदेश.....	4
संपादकीय.....	5
अनुक्रमणिका	6
ईएमयू डिब्बों की अधिप्राप्ति.....	7
एमयूटीपी चरण III	8
रेल विकास शिविर.....	9
सतर्कता जागरूकता सप्ताह	10
दिवा स्टेशन का पुनर्गठन.....	11
एमआरवीसी द्वारा कायाकल्प.....	14
थाने-दिवा खण्ड का पृथक्करण.....	17
हार्बर लाइन का विस्तार	19
अंधेरी स्टेशन	20
एचवीएलएस.....	21
अनधिकृत प्रवेश उपाय	22
राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम.....	23
राजभाषा अधिनियम, 1976.....	34
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व	36
पंचगनी.....	47
बात कहाँ अटकी?.....	48
महानगर (कविता).....	50

मुंबई उपनगर के लिए ईएमयू डिब्बों की अधिप्राप्ति

एमआरवीसी द्वारा एमयूटीपी चरण-ए के अंतर्गत 72, 12 कार ईएमयू रैक संघों की अधिप्राप्ति की जा रही है। इनके लिए इलेक्ट्रिक्स की आपूर्ति का ठेका मे. मेसर्स बाम्बारडियर जर्मनी, मेसर्स बाम्बारडियर प्रपलसन एवं कंट्रोल्स लिमिटेड तथा मेसर्स बाम्बारडियर लिमिटेड इंडिया के संयुक्त उद्यम को प्रदान किया गया और इन डिब्बों का निर्माण आय सी एफ चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। अब तक 70 ट्रेनों का निर्माण हो चुका है एवम् शेष 2 ट्रेनों की आपूर्ति फरवरी, 2017 पूर्ण हो जाएगी।

नई तकनीक वाली गाड़ियों की प्रमुख विशेषताएं

1. 'स्टेट आफ द आर्ट' 3-फेज 'आईजीबीटी आधारित', उन्नत उर्जा दक्ष तथा विश्वसनीयता सहित दोहरी वोल्टेज कर्षण तकनीक कर्षण उपस्करों की आपूर्ति मेसर्स बाम्बारडियर जर्मनी, मेसर्स बाम्बारडियर प्रपलसन एवं कंट्रोल्स लिमिटेड तथा मेसर्स बाम्बारडियर लिमिटेड इंडिया द्वारा किया गया।
2. अनुरक्षण रहित, उच्चतर हॉर्स पावर (30%) 3-फेज एसी कर्षण मोटर्स, वोल्टेज घटबढ़, फ्रीक्वेंसी घटबढ़ वीवीवीएफ नियंत्रण सहित।
3. जीपीएस आधारित माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित "यात्री सूचना प्रणाली"।
4. क्रमशः 0.54 एम/एस² तथा 0.76 एम/एस² उच्चतम गतिवर्द्धन तथा अवमन्दन तथा अधिकतम गति 110 कि.मी. प्रति घंटा।
5. वातावरण सुविधाजनक विशेषताएं - रीजेनेरेशन के कारण 30% उर्जा बचत तथा लोअर नोइस लेवल।
6. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 700 पीपीएम के अंदर डिब्बे के अंदर और बाहर के बीच कार्बन डाय ऑक्साइड स्तर में अंतर बनाए रखने हेतु फोर्सड एयर वेंटीलेशन प्रणाली।
7. बेहतर सवारी गुणवत्ता के लिए सेकेन्डरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग।
8. विशेषतः चर्चगेट-बोरीवली अथवा मुंबई सीएसटी-थाने खंड में लगभग 4 से 5 मिनट के यात्रा समय में कमी।
9. 300 लक्स पर उन्नत प्रकाश।
10. एलईडी डिस्प्ले सहित कंप्यूटरीकृत यात्री सूचना प्रणाली।



नई गाड़ी का लोकार्पण



चर्चगेट स्टेशन पर यात्रियों द्वारा नई गाड़ी का उत्सुकता से इंतजार



बेहतर कलात्मक और उर्जा संरक्षण की दृष्टी से बनी चालक कक्ष की वायुगतिक प्रोफाइल

मुंबई शहरी परिवहन परियोजना - (एम यू टी पी) चरण-III

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन, रेल मंत्रालय के तहत भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के तहत मुंबई उपनगरीय यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए और बुनियादी सुविधाएं और तकनीक लागू करने के लिए, एमआरवीसी कार्यान्वित है। एमयूटीपी के तहत परियोजनाओं का खर्च महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच बराबर के रूप में उठाया जाता है। हालांकि एमयूटीपी चरण-I और चरण-II के तहत अतिरिक्त क्षमता बनाई गई है किंतु मुंबई उपनगरीय रेल प्रणाली पर आगे की क्षमता पैदा करने की और जरूरत को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय ने एमयूटीपी चरण-III का ₹ 10947 करोड़ की लागत का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। रेल मंत्रालय व महाराष्ट्र सरकार की बराबरी की भागीदारी के अलावा विश्व बैंक से ₹ 6936 करोड़ का ऋण लेने का प्रस्ताव है। यह ऋण रेल मंत्रालय व महाराष्ट्र सरकार के बीच बराबर होगा जिसकी अदायगी मौजूदा टिकट पर एमयूटीपी सरचार्ज के माध्यम से की जाएगी।

एमयूटीपी चरण-III के तहत निम्नलिखित काम किये जाने हैं:-

- पश्चिम रेलवे पर विरार-दहाणू रोड चौहरीकरण
- मध्य रेल पर पनवेल- कर्जत का दौहरीकरण
- ट्रांस-हार्बर लिंक पर ऐरोली-कलवा के बीच नई उपनगरीय लिंक (उन्नत)
- रोलिंग स्टॉक की खरीद (565 ईएमयू कोच)
- मध्य व पश्चिम रेलवे के 22 स्टेशनों के मिड-स्टेशन पर ट्रेसपास नियंत्रण
- तकनीकी सहायता

एमयूटीपी चरण-III के पूरा होने के बाद निम्नलिखित लाभ अर्जित होने की उम्मीद है:-

- नई उपनगरीय कॉरीडोर के प्रावधान से अतिरिक्त क्षमता का निर्माण
- नई उपनगरीय कॉरीडोर के उपलब्ध होने के बाद नए क्षेत्रों का विकास
- मौजूदा कॉरीडोर पर भीड़ को कम करना
- ट्रेन से यात्रियों के गिरने या ट्रेसपास की वजह से आक्समिक मृत्यु में कमी लाना
- नई आईजीबीटी तकनीक के 3-चरण ईएमयू रेल के कारण बिजली की बचत
- कॉरीडोर के विस्तार और निर्माण की वजह से लम्बी दूरी उपनगरीय यात्रियों के लिए अखंड यात्रा

एमआरवीसी के लिए एमयूटीपी चरण-III का कार्यान्वयन एक कठिन चुनौती है जिसमें एमआरवीसी के अधिकारी, स्टाफ, अन्य स्टेकहोल्डर्स के सहयोग से आने वाली रुकावटों और चुनौतियों का सामना करते हुए एमआरवीसी समय से एमयूटीपी चरण-III के सभी कार्य पूर्ण करने में सक्षम रहेगा।

रेल विकास शिविर

माननीय रेल मंत्री श्री. सुरेश प्रभु जी ने रेलवे कार्यप्रणाली के कायाकल्प हेतु रेल कर्मियों से सुझाव मंगवाये थे, तथा रेल विकास शिविर का आयोजन दिनांक 20 नवम्बर, 2016 को नयी दिल्ली में किया गया था।

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन के कर्मचारी एवं अधिकारियों ने भी इसमें बढचढ कर हिस्सा लिया, करीब 70 से ज्यादा बहुमुल्य सुझाव प्रस्तुत किये गये। जिसमें से 13 सुझावों को पेटेंट किया गया तथा पाँच विचारों पर श्री प्रभात सहाय / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय के नेतृत्व में रेल विकास शिविर के दौरान विस्तृत व्यवसायिक प्लान (business plan) प्रस्तुत किये गये। इस शिविर में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय के साथ श्री आर. एस. खुराना, निदेशक (परियोजना) व श्री रवि अग्रवाल, निदेशक (तकनीक) ने भी हिस्सा लिया।



सतर्कता जागरुकता सप्ताह

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन में 31/10/2016 से 05/11/2016 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह का उद्घाटन माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रभात सहाय; निदेशक (परियोजना), श्री आर. एस. खुराना; निदेशक (वित्त), श्री बी. के. मेहरा; मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री प्रभात रंजन तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने सतर्कता प्रतिज्ञा लेकर किया। उसके बाद माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय तथा निदेशकों ने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रेल मंत्री का सतर्कता जागरुकता सप्ताह के अवसर पर दिए हुए संदेश का पठन किया।



सतर्कता प्रतिज्ञा

दिनांक 03/11/2016 को श्री नागराजू चलीकम, भा.पो.से., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुंबई द्वारा सतर्कता जागरुकता विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इस सप्ताह के दौरान कर्मचारी तथा उनके परिजनों के लिये विविध प्रतियोगिताओं जैसे निबंध स्पर्धा, क्विज, पोस्टर, स्लोगन और वॉक-प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।



श्री नागराजू चलीकम, भा.पो.से., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो व्याख्यान देते हुए।

दिवा स्टेशन पर फास्ट उपनगरीय लोकल ट्रेनों के ठहराव की सुविधा के लिए दिवा यार्ड / दिवा स्टेशन का पुनर्गठन।

यात्रियों को ट्रेन सर्विस प्रदान करने के लिए मेगा ब्लॉक के दौरान दिवा स्टेशन को यात्रियों के लिए पूर्णतया बंद किया गया।

एमआरवीसी मध्य रेल के ठाणे - दिवा सेक्शन में 5 वीं और 6ठी लाइन का कार्य निष्पादित कर रहा है जिसमें योजना, डिजाइन, मौजूदा लाइनों के संशोधन, अतिक्रमण को हटाने, भूमि / स्थान उपलब्ध कराने, नई लाइनों को समायोजित करने के, बिछाने और नई पटरियों का निर्माण, साथ ही विद्युतीकरण सहित प्लेटफार्मों, पदचारी पुल और सामान्य इलेक्ट्रिकल सेवाओं के प्रावधान सम्मिलित है।

1. रेलवे के लिए हमेशा की तरह, भूमि की कमी विकास कार्यों के लिए एक गंभीर समस्या रही है और यही समस्या दिवा स्टेशन पर भी थी। इस कारण पुराने दिवा डीसी कर्षण सबस्टेशन, दिवा स्टेशन मास्टर कार्यालय, आरपीएफ भवन एवं कर्मचारियों के कमरे आदि के रूप में रेलवे के खुद के भवनों में से कुछ को अतिक्रमण के रूप में ध्वस्त करने हेतु रेखांकित किया गया। इसके अलावा मौजूदा रेल पटरियों और मौजूदा ओएचई संरचनाओं को भी योजना पर अमल करने के लिए बदलाव हेतु चयनीत किया गया।
2. यह सुनिश्चित किया गया कि दिवा स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म केवल मौजूदा पटरियों की दिशा बदले एवं रेलवे इमारतों और इलेक्ट्रिकल ओएचई संरचनाओं को ध्वस्त और उपयुक्त स्थानांतरित किया जाए। एक ही समय में बिजली की स्थापना पर बिजली व्यवस्था को अपरिवर्तित रखा जाना था ताकि सभी परियोजना दिवा स्टेशन पर भली-भाँति कार्य करती रहे, और दैनिक रेल सेवाओं को प्रभावित करे बिना तथा मौजूदा रेल यातायात की आवृत्ति सुनिश्चित करे बिना कार्य किया जा सके।
3. विद्युत शाखा के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना बेहद मुश्किल था, लेकिन मध्य रेल के प्राधिकारियों ने न केवल नैतिक सहायता की बल्कि पूर्ण समन्वय के साथ मध्य रेल के विभागीय वाहन जैसे: ओएचई टॉवर वैगन, ओएचई क्रेन स्पेशल, डीजल इंजन सहित बी.टी.एनस्, बी.एफ.आरस्. उपलब्ध कराए, मध्य रेल अधिकारियों के मार्गदर्शन से रेलवे ट्रेफिक के मौजूदा यातायात को बिना प्रभावित किए हुए और आवश्यक बिजली एवं यातायात ब्लॉक की आवश्यकता को पूर्ण करने में एमआरवीसी की विद्युत शाखा को पूर्ण सहायता की जिसमें निम्न कार्य समाविष्ट हैं :

- निष्पादन के दौरान मौजूदा ओएचई संपत्तियों और बिजली के खतरों से अन्य रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा।



- इलेक्ट्रिकल और टीआरडी 25000 एसी वोल्ट की प्रणाली की विश्वसनीयता सूट करने के लिए ओएचई संपत्तियों का रिप्लेसमेंट।
 - सबसे कठिन ओएचई संरचनाओं को लोकेशन 41/17 और 42/1 किलोमीटर से हटाना।
4. एमआरवीसी की विद्युत शाखा अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की क्षमता, अनुभव और प्रतिभा का उपयोग करते हुए आवश्यक चरणों में दिवा स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफार्मों के लिए आवश्यक मुक्त स्थान प्राप्त करने के लिए सफल रहा है।



बड़ी संख्या में ओएचई उपकरणों में संशोधन किए गए और स्थापित किए गये एवं साथ ही ओएचई कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

5. रेलवे ने एमआरवीसी की विद्युत शाखा को सूचित किया था कि कार्य निष्पादन के अंतिम दिनों पर स्थानीय लाइनों की नियमित रूप से यातायात प्रदान किया जाए जिससे दिवा के निवासियों के लिए कोई समस्या न हो। यह एमआरवीसी के लिए एक अतिरिक्त चुनौती थी। इसके लिए स्थानीय लाइनों का यातायात कट-इन-इन्सुलेटर, बिजली

निरंतरता में कटौती मेगा ब्लॉक से एक दिन पहले सुनिश्चित किया गया था। एक ही कट में इन्सुलेटर (जो सुबह में प्रदान किया गया था), शाम को हटा दिया गया था के बाद मेगा ब्लॉक के पूरा होने तथा ओएचई को बिजली की निरंतरता प्रदान करने के लिए कार्य करने लगा।

6. दिवा को डाउन दिशा में नया प्लेटफार्म नंबर 1 समर्पित किया गया और पुराने प्लेटफार्म नंबर 1 को डाउन के स्थान पर अप लाइन यातायात के लिए प्लेटफार्म नंबर 2 में परिवर्तित किया गया इसीतरह प्लेटफार्म नंबर 2 को अप लाइन के स्थान पर डाउन लाइन यातायात के लिए प्लेटफार्म नंबर 3 में परिवर्तित किया गया। अप लाइन के लिए एक और प्लेटफार्म नंबर 4 का निर्माण किया गया तथा पूर्व में डाउन दिशा के फास्ट ट्रेक को अप दिशा के फास्ट ट्रेक में परिवर्तित किया गया।



7. उपरोक्त सभी कार्यों को एमआरवीसी की सभी तकनीकी शाखाओं के सहयोग से पूर्ण किया गया।
8. विद्युत शाखा ने किसी भी तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए विशेष प्रयास किए थे जैसे कि:-

- यातायात दिशा परिवर्तन के तुरन्त बाद पेंटोग्राफ का विपरित दिशा में उलझना, यातायात कि दिशा में परिवर्तन के साथ पेंटोग्राफ परिवर्तन किया गया।

- पुलों के नीचे (कमी) के कारण ओएचई कंडक्टर के बिजली शॉर्ट सर्किट कंडक्टर की मंजूरी में परिवर्तन ।
- दिवा स्टेशन के मौजूदा लेवल क्रॉसिंग पर सड़क पर वाहनों की सुरक्षा के लिए ओएचई कंडक्टर हेतु सुरक्षित ऊंचाई को बनाए रखने के साथ ही उन स्थानों पर पटरियों की उँचाई भी बढ़ाई गयी।
- एस ओ डी के तहत ही, यह सुनिश्चित किया गया कि मौजूदा ओएचई संरचनाओं एवं नये ओएचई संरचनाओं को सुरक्षा पूर्वक स्थापित किया जाए ताकि यात्रियों के साथ अचानक ट्रेफिक दिशा परिवर्तन के कारण कट व कनेक्शन गतिविधियों की वजह से कोई अप्रत्याशित घटना न हो।

9. इसके अतिरिक्त मौजूदा पुलों के अलावा अतिरिक्त पदचारी पुल भी दिवा स्टेशन के दोनों सिरों पर स्थापित किए गए। एमआरवीसी की विद्युत शाखा द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु दिवा स्टेशन के मौजूदा प्लेटफार्मों के विस्तारित हिस्से पर और नवनिर्मित प्लेटफार्मों नंबर 1 और 4 पर उच्च क्वालिटी की ओवर लाइटिंग व पंखे उपलब्ध कराए गए।



10. अंततः एमआरवीसी ने नए दिवा स्टेशन पर 'महान स्वप्न महान कार्य' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। इस तरह के एक कठिन कार्य को पूरा करने के लिए सभी इंजीनियर्स व कर्मचारियों की दीक्षा, योगदान और समर्पण की सराहना करते हैं। हमें खुशी है कि हमने यात्रियों एवं रेलवे की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सुरक्षा के संबंध में कोई समझौता नहीं किया।



गोवंडी स्टेशन पर बनाई गई मूरल पेंटिंग

एमआरवीसी द्वारा पश्चिम रेलवे के बोरीवली स्टेशन का कार्याकल्प

मुंबई के अधिकांशतः उपनगरीय स्टेशन 1930 के दशक के हैं, पिछले कुछ वर्षों में यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आज यात्री यातायात लगभग 80 लाख यात्रियों तक पहुँच गया है। यात्री वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आवश्यकतानुसार खण्ड रूप में 'जहाँ है, जैसा है' के रूप में कार्य किया गया है। इन प्लेटफॉर्मों पर स्थान की कमी एक गंभीर

समस्या है, लोगों को पदचारी पुल पर पहुँचने के लिए अथवा ट्रेन पकड़ने के लिए स्थान प्राप्त करना, प्लेटफार्म पर होने वाली अनियंत्रित भीड़ के कारण अत्यधिक कठिन हो जाता है।

चूँकि इस स्टेशन पर क्षैतिज (होरिजेंटल) विस्तार हेतु कोई भी स्थान रिक्त स्थान नहीं बचा है, स्टेशनों के ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) विस्तार ही एकमात्र रास्ता है। वर्तमान रेल ट्रेक के उपर प्रथम तल पर डेक बना कर उसे पदचारी पुल से जोड़ा जाना ही एक विकल्प है ताकि यात्री डेक के सहारे ही प्रथम तल पर पदचारी पुल/प्लेटफार्म हेतु शिफ्ट कर सकें और प्लेटफार्म पर भीड़ नियंत्रित की जा सके।



बुकिंग ऑफिस, जीआरपी ऑफिस
व आरपीएफ ऑफिस की नई इमारत

बोरीवली स्टेशन मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क के पश्चिमी लाइन पर एक सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है जहाँ हर दिन 100 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनों जिनमें प्रतिष्ठित राजधानी एक्सप्रेस सम्मिलित है और 937 से अधिक लोकल ट्रेनों को रुकने व प्रारम्भ होने का प्रावधान है। लगभग 6 लाख यात्री प्रतिदिन बोरीवली स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बोरीवली स्टेशन से एक दिन में ₹ 45 लाख का राजस्व उत्पन्न करता है।

बोरीवली, मुंबई उपनगरीय रेल प्रणाली का वह टर्मिनस है जिस पर कुल 9 प्लेटफार्म है, इस स्टेशन पर सभी धीमी गति, सेमी फास्ट व तेजगति की उपनगरीय गाड़ियां तो रुकती ही है एवं इस स्टेशन पर पश्चिम रेलवे की अधिकांश मेल व एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव भी होता है।

पृष्ठभूमि : विश्व बैंक और रेलवे के साथ विचार-विमर्श करके एमआरवीसी ने मुंबई के कुल 12 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अनधिकृत प्रवेश (ट्रेसपास कंट्रोल) को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी अध्ययन किया जिसमें बोरीवली भी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। एमआरवीसी ने मैसर्स एजिस रेल और एजिस इंडिया के माध्यम से मुंबई में 20 स्टेशनों के पुनर्विकास/सुधार के लिए अवधारणा नियोजन का कवर अध्ययन किया, इस अध्ययन में भी विश्व बैंक ने सहायता की।



बोरीवली स्टेशन के दक्षिणी छोर पर
6मी. चौड़ा पादचारी पुल



एमआरवीसी ने एमयूटीपी-द्वितीय के अंतर्गत 12 स्टेशनों पर अनधिकृत प्रवेश (ट्रेसपास कंट्रोल) का कार्य करना सुनिश्चित किया, कार्य प्रगति पर है और मार्च 2017 तक पूरा हो जाने की योजना बनाई गई है, एवं बोरीवली स्टेशन के महत्व को और रेलवे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैसर्स एजिस रेल और एजिस भारत की टीए अध्ययन के आधार पर ले लिया है, टीए अध्ययन के आधार पर अन्य यात्री सुविधा कार्य को काम के दायरे में शामिल कर लिया गया है।

विस्तार : बोरीवली स्टेशन पर किए जा रहे कार्य संक्षेप में निम्नानुसार है।:


1. कुल 3 पदचारी का निर्माण - (1 एमआरवीसी द्वारा और 2 रेलवे द्वारा)।
2. कुल 6 एस्केलेटर (4 एमआरवीसी और 2 रेलवे द्वारा) और लिफ्ट 7 (3 एमआरवीसी और 4 रेलवे द्वारा) का प्रावधान।
3. प्लेटफार्म सं. 1 की सम्पूर्ण लम्बाई 12 मी. चौड़ा करने के लिए कार्यालयों/संरचनाओं का पुनर्वास स्थानांतरित किए जाने वाले कार्यालयों/संरचनाओं की सूची।
 - i) जीआरपी व आरपीएफ कार्यालय।
 - ii) इलेक्ट्रिकल और एसएसई / वर्क्स कार्यालय।
 - iii) 3 लाख लीटर क्षमता का ऊपरी जल संग्राहक (ओ एच टी)।
 - iv) बुकिंग कार्यालय।
 - v) पीआरएस कार्यालय।
 - vi) रेलवे सबस्टेशन और रिलायंस सबस्टेशन।
 - vii) पादचारी पुल की सीढ़ियां।
 - viii) भूमिगत मार्ग की सीढ़ी एवं विस्तारक।
 - ix) प्लेटफार्म न. 1 की छत।
 - x) प्लेटफार्म न. 1 से ओएचई और जी. एस. एस. एंड टी. संरचनाएं व केबल।
 - xi) एटीएम व विज्ञापन बोर्ड।
4. एमएमआरडीए/एमसीजीएम स्काईवॉक को जोड़ने के लिए PF1 के ऊपर 10.5 मी. ऊँधतल (डेक) का प्रावधान, यह डेक 300 मीटर लंबाई का होगा जो सभी 5 पदचारी पुल के साथ सभी 3 लिंकवे को भी जोड़ेगा, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी। डेक का प्रावधान प्लेटफार्म पर होने वाली भीड़ को कम करने के लिए पुनर्विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके परिणामस्वरूप सभी दिशाओं में यात्रियों की फ्री क्रॉस इंटरकनेक्शन को सक्षम बनाया जाएगा।



5. पश्चिम की ओर के बुकिंग कार्यालय को स्थानांतरित करना ताकि आसपास के क्षेत्र को खाली करके उस स्थान का सुधार किया जा सके।
6. उत्तरी छोर पर मौजूदा बुकिंग कार्यालय के लिए कतार हेतु जगह उपलब्ध कराना।
7. पूरे प्लेटफार्म नं. 1 को 12 मी. चौड़ा करना तथा प्लेटफार्म की ऊँचाई 900 से 920 मिमी. करना साथ ही इस बात को ध्यान में रखा गया कि प्लेटफार्म सं. 1 और 7 के जंक्शन पर मौजूदा सबवे के विस्तार हेतु कोई असुविधा न हो।
8. एस्केलेटर और लिफ्ट के लिए अतिरिक्त आवश्यक बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था।

बोरीवली में सुधार कार्यों की योजना संलग्न है। बोरीवली स्टेशन को यात्रियों की सुविधा के लिए काफी हद तक सुधार किया जा रहा है जिससे यातायात के दौरान भीड़ कम होगी, सभी दिशाओं में एक तरफ से दूसरी तरफ यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी, स्टेशन के कार्यात्मक और सौंदर्य बढ़ाने के लिए बनाई गई योजना की प्रति संलग्न है।

Sr. No.	Amenity	Existing Earlier	Additional Facilities Provided
1.	Booking Counters (West Side)	15 + 5	11 + 2
2.	Escalators	1	4
3.	Lifts	0	3
4.	Elevated Deck	0	3150 sqm.
5.	Overhead Tank	1.4 Lakh Litre	1.35 Lakh Litre (Total 2.75 Lakh Litre)
6.	UG Tank	1,20,000 Litre	15,000 Litre (Total 1,35,000 Litre)
7.	Width of P. F. No. 1	6m	6m (Total 12m)



पृथक्करण - एक कदम सरल उपनगरीय परिचालन की ओर थाने - दिवा खण्ड पर पाँचवीं व छठवीं लाइन

मुम्बई का उपनगरीय रेल नेटवर्क इस शहर की जीवन रेखा के रूप में उपनगरीय रेल परिवहन की पूर्ती करता है। मुम्बई की उपनगरीय रेल प्रणाली, जो कि एक बहुत ही पेचीदा और जटिल, सघनता पूर्ण उपयोगित प्रणाली है, लगभग 80 लाख यात्रि प्रति दिन ढोती है। यह भारतीय रेल द्वारा ढोए गए कुल यात्रियों का एक तिहाव हिस्सा है।

पिछले सत्तर वर्षों में मुम्बई उपनगरीय रेल यात्रियों की संख्या में असाधारण बढ़ोत्तरी हुई है। परिणाम स्वरूप क्षमता और आवश्यकता में असामनता के कारण प्रणाली पर बहुत दबाव पड़ा है।

मुम्बई की उपनगरीय रेल प्रणाली लम्बी दूरी की मेल / एक्सप्रेस / पैसेंजर गाड़ियाँ तथा माल गाड़ियाँ द्वारा उपयोग की जाने वाली लाइनों पर ही कार्यरत है याने कि साझा करती है। इसके चलते उपनगरीय गाड़ियों की माँग अनुसार सेवाएँ बढ़ाने में और समय पालन में काफ़ी कठिनाइयाँ आने लगी। कई विकल्पों को जाँचने के पश्चात यह पाया गया कि पृथक्करण, याने कि उपनगरीय गाड़ियों के परिचालन हेतु अलग से लाइनों का प्रावधान, ही एक उचित विकल्प है।



दिवा स्टेशन - नए प्लेटफार्म

मध्य रेल पर मुम्बई मण्डल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कल्याण (53 कि.मि.) तक के खण्ड पर पाँचवीं व छठवीं लाइन बिछाने का कार्य सर्वप्रथम चुना गया, ताकि लम्बी दूरी की मेल / एक्सप्रेस / पैसेंजर गाड़ियाँ तथा माल गाड़ियाँ इन लाइनों पर चालाई जा सके और वर्तमान की चार लाइनों को उपनगरीय गाड़ियों के चलाने हेतु समर्पित रखा जा सके। इस परियोजना को चार चरणों में

करने का निश्चय किया गया जो इस प्रकार हैं, छ.शि.ट - कुर्ला, कुर्ला-थाने, थाने-दिवा और दिवा-कल्याण। इन में से कुर्ला-थाने और दिवा-कल्याण खण्डों पर पाँचवीं व छठवीं लाइन बिछा दी जा चुकी हैं और अब छ.शि.ट - कुर्ला और थाने-दिवा खण्डों पर पाँचवीं व छठवीं लाइन बिछाने का कार्य ज़ारी है। थाने - दिवा खण्ड पर पाँचवीं व छठवीं लाइन का निष्पादन कार्य एमआरवीसी कर रही है।



टनल

थाने - दिवा खण्ड पर पाँचवीं व छठवीं लाइन का कार्य 55% उन्नत है, जिसकी अनुमोदित लागत 440.0 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के मुख्य और बड़े कार्यों में 3 बड़े पुल, 31 छोटे पुल, एक टनल, एक रोड़ ऊपरी पुल, एक रोड़ नीचे पुल, 9.44 कि.मि.



रोड़ उपरी पुल कार्य प्रगती पर

पटरी तथा थाने, कलवा, मुम्ब्रा व दिवा स्टेशनों की पुनःरचना, 469 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन व पुनर्वासन सम्मिलित है। जो कार्य पूरे हो चुके हैं उन में 3 बड़े पुल, 31 में से 15 छोटे पुल, 145 मी. टनल, एक रोड़ नीचे पुल, 9.44 कि.मि. पटरी बिछाने के लिए 50% मिट्टी बिछाने का कार्य और दिवा स्टेशन पर डाउन स्लो, अप स्लो, डाउन फास्ट अप फास्ट प्लेटफार्म, 469 में से 428 व्यक्तियों का पुनर्स्थापन व पुनर्वासन सम्मिलित हैं। शेष कार्य भी उचित प्रगति पर हैं और इस परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष मार्च 2019 रखा गया है।

इस परियोजना के पूरा होने पर कुर्ला से ले कर कल्याण तक पाँचवीं व छठी लाइनों पर लम्बी दूरी की मेल / एक्सप्रेस / पैसेंजर गाड़ियाँ तथा माल गाड़ियाँ दौड़ने लगेंगी जिससे उपनगरीय लोकल गाड़ियों का परिचालन पृथक हो जाएगा। जिसके चलते उपनगरीय गाड़ियों की माँग अनुसार सेवाएँ बढ़ाने में और समय पालन में काफ़ी सुधार होगा।



विटावा रोड़ नीचे पुल



गोवंडी स्टेशन पर बनाई गई मूरल पेंटिंग

हार्बर लाइन का विस्तार - अंधेरी से गोरेगाँव तक (5.5 कि.मि)

मुम्बई उपनगरीय रेल नेटवर्क पर लगभग 80 लाख यात्री प्रति दिन चलते हैं जिस में से लगभग 14 से 16 लाख यात्री हार्बर लाइनों पर यात्रा करते हैं। इस में से कुछ यात्री यतायात छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CSTM और अंधेरी स्टेशन के मध्य विभिन्न स्टेशनों से जुड़ता और घटता है। पिछले कई वर्षों से CSTM से अंधेरी और उसके आगे बोरिवली तक उपनगरीय गाड़ियाँ चलाने की माँग आती रही है। परंतु हार्बर लाइन की गाड़ियाँ अंधेरी के बाद पश्चिम रेल के गलियारे पर लाइन क्षमता उपलब्ध नहीं होने के कारण चलाई नहीं जा सकती हैं। इसलिए हार्बर लाइन को ही विस्तार करने का विकल्प चुना गया, और अंधेरी से

अंधेरी हार्बर लाइन प्लेटफार्म



जोगेश्वरी हार्बर लाइन प्लेटफार्म



गोरेगाँव (5.5 कि.मि.) तक हार्बर लाइन का विस्तार करने के कार्य को मंजूरी मिली, जिस कार्य का निष्पादन एमआरवीसी कर रही है।

इस परियोजना का कार्य 80% उन्नत है, जिसकी अनुमोदित लागत 214.0 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के मुख्य और बड़े कार्यों में 1 बड़ा पुल, 4 छोटे पुल, 6 कि.मि. पटरी तथा अंधेरी, जोगेश्वरी, ओशिवारा (अब राम मंदिर) और गोरेगाँव स्टेशनों की इमारत बनाने के कार्य सम्मिलित हैं।

जो कार्य पूरे कर के चालू कर दिए गए हैं उन में जोगेश्वरी ऊपरी डेक पर बुकिंग ऑफिस जून 2014 में चालू कर दिया गया है, अंधेरी नई स्टेशन इमारत नए हार्बर प्लेटफार्म पैसेंजर डेक चलसीढ़ियों सहित तथा गोरेगाँव स्टेशन इमारत में पैसेंजर डेक चलसीढ़ियों सहित जून 2015 में चालू कर दिए गए हैं और हाल ही में राम मंदिर स्टेशन दिसम्बर 2016 में चालू कर दिया गया है।

जो कार्य पूरे हो चुके हैं उन में जोगेश्वरी नया हार्बर स्टेशन प्लेटफार्म सहित, 1 बड़ा पुल, 4 छोटे पुल, 6 कि.मि. पटरी, जोगेश्वरी से गोरेगाँव

राम मंदिर स्टेशन



गोरेगाव उपरी डेक



तक पटरी जोड़ना सम्मिलित हैं। अंधेरी से जोगेश्वरी तक पटरी जोड़ने का कार्य व अन्य शेष कार्य भी उचित प्रगति पर हैं और इस परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष मई 2017 रखा गया है।

इस परियोजना के पूरा होने पर वर्तमान में जो CSTM से अंधेरी तक हार्बर लाइन की लोकल गाड़ियाँ चलती है उन में से CSTM से गोरेगाँव तक हार्बर लाइन की उपनगरी सेवाएँ चलाई जा सकेंगी।

अंधेरी स्टेशन पर लिफ्ट का प्रावधान

गोरेगांव के लिए अंधेरी से हार्बर लाइन के विस्तार का काम एमयूटीपी-॥ परियोजना के रूप में स्वीकृत किया गया। पूर्व में विकलांग यात्रियों को बुकिंग कार्यालय और प्लेटफार्मों पर जाने के लिए लगभग 7 मी. ऊंचाई की डेक पर सीढ़ियों से अथवा स्वचालित सीढ़ियों से जाना होता था। इसलिए अंधेरी और गोरेगांव स्टेशन डिज़ाइन के दौरान विकलांग यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्टेशन पर 2 लिफ्ट प्रदान करने के लिए परिकल्पना की गई थी और यह भी सोचा गया कि विकलांगों के अनुकूल लिफ्ट प्रदान की जानी चाहिए।

अंधेरी-गोरेगांव के स्टेशनों के विकास का कार्य मैसर्स रेलकॉन (Relcon) को दिया गया था, जिसने लिफ्ट प्रावधान का कार्य मैसर्स कोने (KONE) से करवाया। लिफ्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

- बिना मशीन रूम के और गियरलेस।
- प्रति सेकेंड एक मीटर की गति से 20 यात्रियों (1360 किलोग्राम) को ले जाने की क्षमता।
- इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों का खुलना / बंद होना, सुरक्षा उपकरण के साथ स्वचालित।
- **लिफ्ट ऑपरेशन की सुविधा:** स्वतः कार रिटर्न डिवाइस, फायरमैन सेवा, कार विफलता ऑपरेशन (सुरक्षित लैंडिंग), आपातकालीन बटन, इमरजेंसी लाइट, बैटरी ऑपरेटर आपातकालीन अलार्म / सायरन द्वारा नजदीक लैंडिंग पर रुकना, आपातकालीन द्वार संरक्षण और स्वतः बचाव बैटरी ऑपरेशन द्वारा इत्यादी शामिल है।
- ऊर्जा कुशल वीवीवीएफ (VVVF) नियंत्रण।



हाई वोल्यूम लो स्पीड फैन (एचवीएलएस/HVLS)

हाई वोल्यूम लो स्पीड फैन बड़े आकार के पंखे (सीलिंग फैन) हैं। पूर्व में इन पंखों का अविष्कार 1990 के दौरान रिवर साइड पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम फैयरबैंक (William Fairbank) और वाल्टर के. बॉयड (Walter K. Boyd) ने किया था। यह ऊर्जा कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी शीतलन प्रणाली के फैन है।

हाई वोल्यूम लो स्पीड फैन धीरे धीरे चलता है और कम घूर्णी गति (लो रोटेशनल स्पीड) से हवा को अधिक मात्रा में प्रवाहित करता है, इसलिए इसका नाम "उच्च मात्रा कम गति फैन" है। यह पंखे 24 फुट व्यास और 12 फुट व्यास की दो कैटेगरी में आते हैं और 5800 क्यूबिक मीटर से 13200 क्यूबिक मीटर हवा को विस्थापित कर सकते हैं एवं ये पंखे 600 वर्ग मी. से 1800 वर्गमी. का क्षेत्र कवर कर सकते हैं। इन पंखों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- उच्चप्रदर्शन और ऊर्जा कुशल है।
- एकल फैन जो दीवार पर लगे कई फैन के बराबर हवा प्रसारित करता है।
- बिना किसी रुकावट के प्रत्येक कोने में समान रूप से हवा प्रवाहित करता है।
- यह फैन केवल 1.1 किलोवाट से 1.5 किलोवाट की मोटर पर चर गति नियंत्रक और नियंत्रण एयरफ्लो और रिवर्स होने के संचालन के विकल्पों के साथ ऊर्जा का आश्चर्यजनक रूप से बचाव करते हैं।
- इस फैन का वजन अधिकतम 125 किलोग्राम है।

एमआरवीसी द्वारा दो फैन अंधेरी डेक पर 24 फुट व्यास के, नये राम मंदिर स्टेशन पर दो फैन 12 फुट व्यास के उपलब्ध कराये गये हैं तथा बोरीवली और गोरेगांव स्टेशनों पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।



गोवंडी स्टेशन पर बनाई गई मूरल पेंटिंग

अनधिकृत प्रवेश उपाय - एक सार्थक प्रयास

मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क पर लगभग 80 लाख यात्री प्रतिदिन चलते हैं। इससे कहीं दुगने लोग रेल नेटवर्क के दोनों ओर बसते हैं। उचित स्थानों एवं अंतराल पर रोड, उपरी पुल, पैदल पुल तथा भूमिगत मार्ग बने होने के बावजूद भी लोगों का, यात्रियों का रेल परिसर एवं रेल पटरियों पर अनधिकृत प्रवेश होता ही रहता है। यद्यपि जगह-जगह पर चेतावनी के नारे दर्शाते बोर्ड, समय-समय पर अनधिकृत प्रवेश व यात्रा के दौरान खतरों के विषय पर उद्घोषणा, इत्यादि के प्रयास किए जाते रहे हैं, किंतु अनधिकृत प्रवेश होता ही जा रहा है।

जे.जे. कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा किए गए एक अध्ययन में विविध अनधिकृत प्रवेश के उपाय दर्शाए गए, जिसमें मुख्यतः नए पैदल उपरी पुलों का प्रावधान / चौड़ा करना, लिफ्ट / स्वंचालित सीढ़ियों का प्रवधान, नये प्लेटफार्म का प्रावधान / लम्बाई बढ़ाना, पटरियों के बीच विभाजन, फेन्सिंग दीवार, हरित पट्टी या बगीचे, स्काईवॉक, पैदल ऊपरी पुलों को परस्पर जगह-जगह जोड़ना इत्यादि। उनमें से अनधिकृत प्रवेश उपाय 12 स्टेशनों पर करना सुनिश्चित किया गया, जिनमें मध्य रेल पर दादर, कुर्ला, कांजुर मार्ग, ठाणे, ठाकुर्ली और कल्याण स्टेशन; तथा पश्चिम रेलवे पर दादर, कांदिवली, बोरीवली, भायंदर, वसई रोड और नालासोपारा स्टेशन हैं। इस कार्य को 5 समूहों में बाँटा गया है और मार्च, 2014 में 182 करोड़ रुपये की लागत पर ठेकों की स्वीकृति दी गई। उन्नत कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है।

1. पैदल उपरी पुल सहित बोरीवली स्टेशन पर तीन मंजिला इमारत बनाकर शुरू कर दी गई है।
2. कांजुर मार्ग पर पैदल ऊपरी पुल, नया प्लेटफार्म, बुकिंग ऑफिस बनाकर शुरू कर दिए गए हैं।
3. नालासोपारा स्टेशन पर तीन पैदल ऊपरी पुल तथा बुकिंग ऑफिस बनाकर शुरू कर दिए गए हैं।
4. वसई रोड स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल बनाकर शुरू कर दिया गया है।
5. कांदिवली स्टेशन पर डेक और उससे दो पैदल ऊपरी पुल जोड़े गए और डेक पर बुकिंग ऑफिस बनाकर शुरू कर दिए गए।
6. भायंदर स्टेशन तथा कुर्ला स्टेशन (उत्तर की ओर) पूर्व-पश्चिम स्काईवॉक समेत पैदल ऊपरी पुल बनकर तैयार है।
7. सभी पैदल ऊपरी पुल पर धरनियाँ डाल दी गई हैं।
8. कुल 21 चल सीढ़ियों की सप्लाई हो चुकी है, जिनमें से 11 बनकर शुरू कर दी गई है तथा 10 पर कार्य चल रहा है जिनका मार्च, 2017 तक पूर्ण हो जाना अपेक्षित है।

इस पूरे कार्य को मार्च, 2017 तक पूर्ण करने की योजना है।



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा पुरस्कार

मुंबई स्थित सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा इस वर्ष एमआरवीसी को प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु चुना गया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने 57 वीं बैठक में जो कि दिनांक 18 जुलाई, 2016 को सेन्ट्रम हॉल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई - 400 005 में उपस्थित होकर पुरस्कार ग्रहण किया तथा सभा को सम्बोधित भी किया।



पुरस्कार प्राप्त करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



एमआरवीसी राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम

‘नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति’ के तत्वाधान में संगोष्ठी का आयोजन।

दिनांक 4 फरवरी, 2016 को ‘नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति’ के तत्वाधान में राजभाषा कार्यशाला के अंतर्गत एक संगोष्ठी (विषय:- मानवीय संबंधों में भाषा की भूमिका) का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री प्रभात सहाय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने की।



‘अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने कबीर दास जी के बहुत ही सुंदर दोहे **“ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए”** के साथ अपने मार्गदर्शन की शुरुआत की। श्री सहाय ने कहा कि यदि अहम् को छोड़ कर मधुरता से सुवचन बोले जाएँ तो जीवन का सच्चा सुख मिलता है। कभी अहंकार में तो कभी क्रोध और आवेश में कटु वाणी बोल कर हम अपनी वाणी को तो दूषित करते ही हैं, सामने वाले को कष्ट पहुंचाकर अपने लिए पाप भी बटोरते हैं, जो कि हमें शक्तिहीन ही बनाते हैं। अतः हमें यदि मानवीय संबंधों को सुधारना हैं या सुचारु रूप से जारी रखना हैं तो हमें अपनी सही व मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। श्री सहाय ने बहुत ही सुंदर शब्दों में संगोष्ठी के विषय **‘मानवीय संबंधों में भाषा की भूमिका’** पर प्रकाश डाला एवं रहीमदास जी के सर्वप्रिय दोहे **“रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटखाये, तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़िजाए”** के साथ अपने भाषण को विराम दिया।



श्रीमति स्मृति वर्मा, वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी ने विषय को आगे बढ़ाते हुए नये आयाम रखे, श्रीमति वर्मा ने बातचीत के दौरान शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। श्रीमति वर्मा का तात्पर्य था कि जीवन का लक्ष्य तो मन की कटुता / वैमनस्य को दूर करके अपनी इन्द्रियों पर काबू पाना होना चाहिए। शब्दों की महत्ता असीम है, आज समूची दुनिया आत्मीयता युक्त दो मीठे शब्दों की मोहताज है। परंतु ईंट-कंक्रीट के इस संसार में मीठे, अपनत्व भरे शब्दों का अस्तित्व आज भी बरकरार है।

अहंकारी हृदय से निकले शब्द पराए हो जाते हैं, चाहे अभिव्यक्त करने वाला कितना ही सगा हो, वहीं निर्मल मन से निकले सरल शब्दों से पराए भी अपनों की श्रेणी में आ जाते हैं। ये शब्द ही तो हैं, जो एक झटके में रिश्तों के मजबूत धागों को खींचकर तोड़ डालते हैं और ये शब्द ही हैं, जो परिचय मात्र को सुनहरी, रेशम डोर से बांधकर प्रगाढ़ संबंधों में बदल देते हैं।

श्री विश्वनाथ झा, उपनिदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय ने अपने भाषण में बहुत ही साधारण शब्दों का प्रयोग करते हुए मानवीय संबंधों में भाषा के सही प्रयोग की व्याख्या की। श्री झा ने बताया कि किस प्रकार हम बातचीत के दौरान सही शब्दों का उपयोग करके संबंधों को जोड़े रख सकते हैं, श्री झा ने कहा कि बात चाहे परिवार की हो, समाज की हो या फिर हमारे सहकर्मियों के साथ संबंधों की हो हमें सदैव अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। सदैव ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि किसी का मन न दुखे।



श्री रामविचार यादव, सदस्य सचिव/ 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति' ने संगोष्ठी के विषय '**मानवीय संबंधों में भाषा की भूमिका**' को विस्तारित करके सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री यादव के मतानुसार किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए



व्यक्ति के व्यक्तित्व की निर्णायक भूमिका होती है, व्यक्तित्व विकास के लिए भाषा का महत्व तो है ही, परन्तु इसके साथ-साथ वाणी की मधुरता भी उतनी ही आवश्यक है। यह वाणी ही हैं जिससे किसी भी मनुष्य के स्वभाव का अंदाज़ा होता है। चेहरे से अक्सर जो लोग सौम्य अथवा आक्रामक दिखाई देते हैं, असल ज़िन्दगी में उनका स्वभाव

कुछ और ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बातचीत के लहज़े से ही व्यक्तित्व का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मधुर वाणी बोलने से तात्पर्य यह नहीं है, कि मन में द्वेष रखते हुए मीठी वाणी का प्रयोग किया जाए।

संगोष्ठी की अंतिम प्रस्तुती विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि वक्ता श्रीमति विभा रानी, वरिष्ठ प्रबंधक - राजभाषा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने की। श्रीमति विभारानी ने मानवीय संबंधों में भाषा की उपयोगिता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। श्रीमति विभा ने अपने विभिन्न स्थानों पर हुई पोस्टिंग के दौरान हुए अनुभवों को विस्तारित रूप से सबके समक्ष प्रस्तुत किया।





संगोष्ठी के दौरान मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन की वार्षिक राजभाषा पत्रिका "विकास पथ" का अनावरण श्री प्रभात सहाय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय के करकमलों द्वारा किया गया।



संगोष्ठी में एमआरवीसी के अधिकारियों एवं नराकास के 25 सदस्य उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।



गोवंडी स्टेशन पर बनाई गई मूरल पेंटिंग

राजभाषा सप्ताह का आयोजन

दिनांक 14 सितम्बर, 2016 से 20 सितम्बर, 2016 तक राजभाषा सप्ताह का आयोजन किया गया। जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों व बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे- निबंध प्रतियोगिता, वाक् प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही इस वर्ष से एक नई प्रतियोगिता, ई-प्रतियोगिता (इसमें कर्मचारियों को ई-मेल द्वारा विषय दिया गया एवम मात्र एक घंटे का समय देकर ई-मेल द्वारा ही लेख मंगाए गये एवम इसका रिजल्ट भी ई-ऑफिस द्वारा घोषित किया गया) का आयोजन किया गया, इस नई प्रतियोगिता में कर्मचारियों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया।



राजभाषा सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

‘वैश्विक हिंदी सम्मेलन’ के संयुक्त तत्वाधान में संगोष्ठी का आयोजन

‘मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ व ‘वैश्विक हिन्दी सम्मेलन’ के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 20 सितम्बर, 2016 को ‘मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड’, चर्चगेट, मुंबई में ‘वैश्विक संगोष्ठी’ का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण अफ्रिका से पधारी, दक्षिण अफ्रिका हिंदी शिक्षा संघ की अध्यक्ष प्रो. उषा शुक्ला ने मुख्य अतिथी के रूप में भाग लिया। संगोष्ठी का विषय था, ‘देश-विदेश में हिंदी’। संगोष्ठी में विभिन्न संस्थानों व उपक्रमों के कुल 60 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।




मुख्य अतिथि ने कहा कि अब दक्षिण अफ्रिका में भी स्थितियाँ बदल रही हैं। ज्यादातर भारतवंशी लोग अब वहाँ घरों में अंग्रेजी बोलते हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रिका में हिंदी के प्रसार के लिए विशेष उपाय करने की बात कही। संगोष्ठी में निम्न बिंदुओं पर आम सहमति बनी :-

1. हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हो कर सरकार से मांग की जाए।
2. हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए सभी स्तरों पर सरकार द्वारा प्रयास किए जाएँ।
3. अष्टम अनुसूची में हिंदी क्षेत्र की बोलियों का समावेश करने से हिंदी को भारी नुकसान होगा और बोलियाँ भी हिंदी से कट कर कमजोर होंगी। इसलिए ऐसा करना भारतीय भाषाओं व बोलियों के हित में नहीं है।
4. बोलियों के साहित्य का भी संरक्षण व विकास होना चाहिए इसके लिए राज्य सरकारों व स्थानीय भाषा अकादमियों को काम करना चाहिए।
5. विद्यार्थियों को कंप्यूटर व मोबाइल आदि उपकरणों पर हिंदी में देवनागरी लिपि में कार्य करने संबंधी प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाए और भाषा शिक्षण में भाषा प्रौद्योगिकी का समावेश किया जाना चाहिए।

6. जब तक हिंदी शिक्षा, रोजगार तथा व्यापार व व्यवहार की भाषा नहीं बनायी जाती तब तक हिंदी का समुचित विकास और प्रसार संभव नहीं। इस दिशा में कारगर उपाय किए जाने चाहिए। हिंदी माध्यम से शिक्षा पानेवालों को स्तरीय शिक्षा के साथ-साथ रोजगार में भी वरीयता दी जानी चाहिए।
7. हिंदी के प्रसार के लिए शिक्षा, साहित्य, सिनेमा और राजभाषा आदि सभी क्षेत्रों के भाषा प्रेमियों को परस्पर समन्वय व सहयोग के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

‘वैश्विक हिन्दी सम्मेलन’ की ओर से मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रभात सहाय को "राष्ट्रभाषा गौरव" से सम्मानित किया गया।



जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किये जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले।

- चाणक्य

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2017 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में राजभाषा कार्यशाला के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री प्रभात सहाय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने की, जिसमें मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के अलावा उपनिदेशक (पश्चिम) राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, सदस्य सचिव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं अन्य उपक्रम (पीएसयु) के प्रतिनिधि उपस्थित थे।



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने कहा कि संगोष्ठी का विषय है 'कर्मचारी सहभागिता के माध्यम से हिंदी का प्रचार-प्रसार' बहुत ही गंभीर व महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह दायित्व है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्दभंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। इसलिए जरूरत अब इस बात की है कि भारतीय नीति निर्धारक सकारात्मक नीति अपनाते हुए भारतीय भाषाओं में काम करने का मंत्र देकर भारत को सुपर पावर बनवाने में सहायक बनें। हिंदी को रोजगार के साथ जोड़ा जाए।



अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय संगोष्ठी के दौरान संबोधित करते हुए।

श्री रवि खुराना निदेशक परियोजना महोदय ने संगोष्ठी के विषय 'कर्मचारी सहभागिता के माध्यम से हिंदी का प्रचार-प्रसार' पर अपनी राय रखते हुए कहा कि 'वर्तमान में जितनी भी मुसीबतें भारतीय झेल रहे हैं उनका प्रमुख कारण है भारत में लंबे समय तक चलती रही राजनैतिक उथल-पुथल और भारत पर विदेशियों का शासन जिससे देशी भाषाएं अपने स्वाभाविक स्वरूप में फलफूल नहीं सकीं। किंतु ब्रिटिश उपनिवेश काल और विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 ई. की असफलता के बाद अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सदा के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास आरंभ किए गए'। हकीकत चाहे जो भी हो किंतु अंग्रेजों को एक बात अच्छी तरह से मालूम थी कि बहुसंख्यक भारतीय हिंदी बोलने, लिखने और समझने में सक्षम हैं, इसलिए जब भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया तो तभी से यह साफ होने लगा था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होने वाली है।



निदेशक परियोजना संगोष्ठी में संबोधित करते हुए



निदेशक (वित्त) संगोष्ठी में संबोधित करते हुए

श्री बी के मेहरा, निदेशक (वित्त) ने अपने भाषण के दौरान कहा कि मानव एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो कोई भी काम बिना सीखे नहीं कर सकता। किंतु हिंदी उसे बिना मेहनत किए ही आ जानी चाहिए, यह चक्र अनंत काल तक चलते रहने की आशंका है। इसलिए हिंदी के सरलीकरण और वैज्ञानिक एवं तकनीकी सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व भारतीय साहित्यकारों व विद्वानों को सौंपा जाए। क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसलिए भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने वालों को प्रत्येक सुविधा दी जाए। अगर इससे बात नहीं बनती तो फिर जानबूझ कर हिंदी के रास्ते में रोड़े अटकाने का प्रयास करने वालों के लिए दंड का प्रावधान भी भारत सरकार को करना चाहिए। यहां तक बात हिंदी प्रेमी साहित्यकारों, विद्वानों और कर्मियों की है तो उनका मुख्य हथियार है समन्वय, प्रेम, मित्रभाव एवं अधिक से अधिक जनसंख्या तक पहुंच। भारतीय भाषाओं के साहित्यकार भी अपने औजारों के साथ लड़ने को मजबूर हैं। इसलिए हिंदी प्रेमियों, विद्वानों और कर्मियों से अनुरोध है कि वे आपस में गुंथम-गुंथा हुए बिना बगैर किसी हो हल्ले के पूरी मेहनत से हिंदी की सेवा में लगे रहें और सबका साथ और सब तक पहुंच की नीति से हिंदी की प्रगति में लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ निदेशक वित्त ने अपनी बात समाप्त की।

श्री विश्वनाथ झा, उपनिदेशक (पश्चिम), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने संगोष्ठी के बारे में अपने चिर परिचित अंदाज में विचार व्यक्त किए श्री झा ने कहा कि 'ज्यादातर बहानेबाज हिंदी को कठिन होने का रोना रोते हैं तथा यह भी बहाना बनाते हैं कि देशी भाषाओं में विज्ञान एवं तकनीकी की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। हिंदी का विरोध करने वालों के ध्यान में यह तथ्य लाना भी अति आवश्यक है कि अंग्रेजी ने अपना वर्तमान स्थान कोई रातों-रात हासिल नहीं कर लिया है। इसके पीछे वहां के विद्वानों और साहित्यकारों की कड़ी मेहनत और लगन छुपी हुई है। वास्तव में हिन्दी को हिन्दी भाषी क्षेत्र का वह सहयोग नहीं मिल रहा है जो उसका हक है वह बड़े क्षेत्र की मातृभाषा होकर भी राष्ट्रभाषा के लिये संघर्ष करते नजर आ रही है ऐसा शायद इसलिये भी है क्योंकि हमारा अंग्रेजी प्रेम हमें आधुनिक संस्कृति की ओर खींच रही है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है और हमें ही उसे उसका हक दिलाना है'।



उपनिदेशक (पश्चिम) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय



सदस्य सचिव/ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

श्री रामविचार यादव जी / सदस्य सचिव /नराकास ने हमेशा कि भांति अपने भाषण में संगोष्ठी के विषय **‘कर्मचारी सहभागिता के माध्यम से हिंदी का प्रचार- प्रसार’** को समाहित करके सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। श्री यादव के मतानुसार किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व की निर्णायक भूमिका होती है, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए कि ‘हिंदी संवर्ग में कार्यरत हिंदी कर्मियों को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जाएं। हिंदी के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के नेतृत्व में हिंदी बुद्धिजीवियों को शामिल करते हुए पूरे देश में जिला स्तर पर हिंदी समन्वय एवं शिकायत समितियों का गठन किया जाए। सभी कंप्यूटरों के देवनागरी और भारतीय भाषाओं के ही कीबोर्ड खरीदे जाएं। हिंदी में काम करके देश की तरक्की में काम करने वाली तमाम छोटी बड़ी कंपनियों को करें में रियायत देने के अतिरिक्त पुरस्कृत भी किया जाए’।

संगोष्ठी के लिए विशेष रूप से आमन्त्रित श्री रवि दत्त गौड ने अपनी प्रस्तुती में कई कहानियों के माध्यम से संगोष्ठी के विषय **‘कर्मचारी सहभागिता के माध्यम से हिंदी का प्रचार- प्रसार’** पर प्रकाश डाला। श्री दत्त ने बताया कि हिंदी शिक्षण और प्रशिक्षण योजनाओं के माध्यम से देश-विदेश में हिंदी सिखाई जा रही है। भारत सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, उपक्रमों, निकायों में हिंदी के कार्यों का कार्यान्वयन कराने के लिए केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिंदी सलाहकार समिति, संसदीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति और कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों सरीखी समितियों का गठन किया गया है। हिंदी की प्रगति के लिए विश्व स्तर के 10 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। पुरस्कार योजनाओं के माध्यम से हिंदी में काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर भी देश के असंख्य नागरिक हिंदी को स्वेच्छा से अपनाने को तैयार नहीं। यहां तक कि भारत के अनेक क्षेत्र तो हिंदी के विरोध में मरने मारने को तैयार हैं। कारण कोई खास नहीं परंतु राजनैतिक और आर्थिक असुरक्षा का डर दिखाकर भारतीयों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है जिससे भारत की तरक्की में भी रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं।



मुख्य वक्ता श्री रविदत्त गौड



उप मुख्य परिचालन प्रबंधक/एमआरवीसी

संगोष्ठी की अंतिम प्रस्तुति श्री शरद मिश्र, उप मुख्य परिचालन प्रबंधक, एमआरवीसी ने की श्री मिश्र ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि दैनिक कार्यालयीन कार्य राजभाषा हिन्दी में किया जाए तो कार्य करने की इच्छा, क्रियान्वयन के लिए हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान, कर्मचारियों का अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन इत्यादि इत्यादि की बात होती है। इस दृष्टि से यदि कार्य में सरलता को ध्यान में रखते हुए, व्यावहारिक व्याकरण, वर्तनी, शब्द-प्रयोग और सबसे बढ़कर कार्यालयीन पत्र-व्यवहार आदि का कार्य निष्पादन के साथ-साथ कर्मचारी को राजभाषा में कार्य करने में उसकी बोल चाल की भाषा की शैली में कार्यालयीन कार्य करने की छूट दी जाती है तो सम्भव है कि राजभाषा में कार्य की वृद्धि अवश्य होगी। हम स्वयं अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में राजभाषा का कितना प्रयोग कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमी को देना है, तब जाकर हमें पता चलता है कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने विचारों, भावों एवं मतों को विविध विधाओं के माध्यम से राजभाषा में अभिव्यक्त करें एवं इसकी समृद्धि में अपना योगदान दें। हमारे राजभाषा में कार्य करते देख कर्मचारी भी उत्साहित हो उठते हैं और उनके स्तर से भी राजभाषा में काम करने की नींव का जन्म होता है। हम जब तक कर्मचारियों को राजभाषा में काम करने में सहभागी नहीं बनाते तब तक यह कार्य इच्छित प्रगति नहीं ले सकता है। कर्मचारी ही एक ऐसा माध्यम है जिस से राजभाषा का अत्याधिक प्रचार व प्रसार सम्भव है। श्री मिश्र ने अपनी प्रस्तुति निम्न पंक्तियों के साथ समाप्त की।

**तू निश्चय ही कर जाएगा, तेरे मन में यह एक आस रख,
हे राजभाषा के राजहंस, तू राजभाषा में विश्वास रख।**



सभी नराकास सदस्य उपक्रमों के प्रतिनिधि

आम तौर पर लोग जैसी चीजें हैं
उसी के आदी हो जाते हैं और बदलाव के
विचार से ही काँपने लगते हैं। हमें इसी
निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी
भावना में बदलने की जरूरत है।

- भगत सिंह



राजभाषा अधिनियम, 1976

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 1976 में राजभाषा नियम बनाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे हिन्दी के प्रयोग में काफ़ी सहायता मिली है। इस नियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं: (क) केंद्र सरकार के कार्यालयों के 'क' क्षेत्र के लिए राज्य व संघ राज्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली) को ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिन्दी में भेजे जाएँगे। यदि किसी खास मामलें में कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा। (ख) केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र के किसी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र (पंजाब, गुजरात, और महाराष्ट्र तथा चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र) के प्रशासनों को भेजे जाने वाले पत्र आदि सामान्यतः हिन्दी में भेजे जाएँगे। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा। इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी, किसी भी मात्रा में हो सकते हैं। (ग) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से 'ग' क्षेत्र के किसी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र ('क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएँगे। यदि ऐसा कोई पत्र हिन्दी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद साथ भेजा जाएगा। (घ) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है किंतु केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थिति संबंध और अधीनस्था कार्यालयों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में हिन्दी में होगा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कम से कम दो तिहाई पत्र व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए। 'क' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के किन्हीं दो कार्यालयों के बीच सभी पत्र व्यवहार हिन्दी में ही किए जाने का प्रावधान है। (ङ.) हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाएँगे। हिन्दी में लेख या हिन्दी में इस्ताक्षर किए गए आवेदनों या अभ्यावेदनों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाएँगे। (च) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की होगी। (छ) केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पणी या मसौदे लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करें। (ज) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएँ और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए जाएँगे। सभी फार्मों और रजिस्ट्रों के शीर्ष, नामपट्ट, स्टेशनरी, आदि की अन्य मदें भी हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में होंगी। (ण) प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर है। इस नीति के समन्वय का कार्य राजभाषा विभाग करता है। यह विभाग समन्वय के लिए वार्षिक कार्यक्रमों को जारी करने के अलावा कई प्रकार की समितियों का गठन करके यह कार्य कर रहा है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

(1) केंद्रीय हिन्दी समिति

हिन्दी के विकास और प्रसार तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का समन्वय करने और नीति संबंधी दिशा निर्देश देने वाली यह सर्वोच्च समिति है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित इस समिति में केंद्रीय सरकार के 11 मंत्री तथा राज्य मंत्री, राज्यों के 8 मुख्यमंत्री, 7 संसद सदस्य तथा हिन्दी के 10 विशिष्ट विद्वान शामिल हैं। राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार इसके सदस्य सचिव हैं।

(2) हिन्दी सलाहकार समितियाँ

सरकार का यह निर्णय है कि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और इस संबंध में आवश्यक सलाह देने के लिए जनता के साथ अधिक संपर्क में आने वाले विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ गठित की जाएँ। इस निर्णय के अनुसार 25 मंत्रालयों में उनके मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है, जिनमें संसदस्यों तथा हिन्दी के विशिष्ट विद्वानों के अतिरिक्त मंत्रालय विशेष के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। वे अपने मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में आवश्यक विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं।

(3) राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) 25 या इससे अधिक है, वहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ बनाई गई हैं। मंत्रालयों व विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों को मिला कर एक केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाई गई है, जो उसकी समस्याओं पर आंतरिक रूप से विचार करके उनका समाधान ढूँढती है। 1976 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार ऐसे 55 नगरों में भी, जहाँ 10 या इनसे अधिक केंद्रीय कार्यालय हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है।

उपर्युक्त प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है। वर्ष 1981 की 3 तिमाहियों में कुल 423990 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए। इनमें से 233030 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया तथा केवल 5088 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में। इसी अवधि में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 345899 पत्र मूल रूप से हिन्दी में भेजे गए। इसी प्रकार अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार सामान्य आदेश (जिनमें परिपत्र भी शामिल है) संकल्प, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति आदि द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए। इस संबंध में राजभाषा विभाग की ओर से सभी मंत्रालयों व विभागों से यह कहा गया है कि वे उन्हें अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करें। अधिकतर मंत्रालय व विभाग ऐसा ही कर रहे हैं। वर्ष 1981 की 3 तिमाहियों में जारी होने वाले विभाग ऐसा ही कर रहे हैं। वर्ष 1981 की 3 तिमाहियों में जारी होने वाले इन कागज पत्रों की कुल संख्या 73341 थी। इनमें 61297 कागजपत्र द्विभाषी रूप में जारी हुए। इसके अतिरिक्त सभी मंत्रालयों व विभागों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर प्रायः हिन्दी में दिए जाते हैं।

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होगा कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास, प्रचार और प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, किंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य तक नहीं पहुँच सके हैं। इसका कारण यह है कि जो सरकारी कर्मचारी हिन्दी जानते भी हैं, वे भी द्विभाषिक रूप में कार्य करने की छूट होने के कारण हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो वे पहले से अंग्रेजी में काम करने के अभ्यस्त रहे हैं दूसरे हिन्दी में काम करने में वे कुछ हीनता अथवा संकोच का अनुभव करते हैं। यह हीनता और संकोच की भावना इस समय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए अभी जितने यांत्रिक साधन और सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वे हिन्दी में सुलभ नहीं हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग अपेक्षित रूप में नहीं हो पा रहा है। अतः विभिन्न प्रकार के टाइपराइटर्स, कंप्यूटरों आदि की अपेक्षित सुविधाएँ हिन्दी में सुलभ कराने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हिन्दी भाषी राज्य सरकारें भी, जहाँ अधिकांश कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, अभी तक संपूर्ण कार्य हिन्दी में नहीं कर पा रही हैं। इससे अन्य राज्यों में हिन्दी का प्रयोग करने पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यद्यपि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम के अनुसार अनेक कागज पत्रों एवं प्रकाशनों को द्विभाषिक रूप में अथवा केवल हिन्दी में जारी करना पड़ता है। किंतु सरकारी प्रेसों की हिन्दी की मुद्रण-क्षमता अभी भी संतोषजनक नहीं है। इससे न तो हिन्दी के प्रकाशन समय पर निकल पाते हैं और न ही समुचित मात्रा में हिन्दी का प्रयोग बढ़ पाता है। यह भी देखा गया है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अभी तक मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों आदि में समुचित हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उपर्युक्त वातावरण न होने की है। प्रायः सभी सही सोचते हैं कि उनके बजाय किसी और को हिन्दी में काम करना है। फिर भी, विविध प्रयासों के परिणामस्वरूप हिन्दी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि में वार्षिक कार्यक्रमों को पूरा करने का भरकस प्रयास किया जा रहा है। हिन्दी में सर्वाधिक काम करने वाले मंत्रालयों व विभागों को शील्ड देने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हिन्दी में पर्याप्त काम करने वाले को आर्थिक प्रोत्साहन देने की योजना भी विचाराधीन है। राजभाषा विभाग अपने विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों की जानकारी देने का पूरा प्रयास कर रहा है। विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियाँ तथा राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं। हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन से भी कर्मचारियों की झिझक दूर करके उन्हें हिन्दी में काम करने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि हिन्दी में काम करने का वातावरण बनाने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। यद्यपि हमारी मंजिल कुछ दूर अवश्य है, किंतु हम सब का सहयोग लेते हुए सशक्त और संतुलित कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमें आशा है, हम देर सवेर अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँचेंगे।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि. 'कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व' के अंतर्गत न केवल 'पुनरुद्धार व पुनर्वसन' क्षेत्र के निवासियों के लिए स्वास्थ्य ईकाई चलाता है अपितु उनके लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण भी करवाता है, साथ ही साथ अन्य कार्य भी करता है। वर्ष 2016 के दौरान निभाए गये कुछ प्रमुख दायित्व निम्नानुसार है:

मध्य रेल हेतु एम्बुलेंस : मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि. ने अपने सामाजिक दायित्व को आगे बढ़ाते हुए रेल प्रवासियों के हितार्थ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / एमआरवीसी द्वारा दिनांक 19 मई, 2016 को 4 मारुति (एसी) एम्बुलेंस मध्य रेल के महाप्रबंधक को सुपुर्द की। इन एम्बुलेंस का उपयोग रेल दुर्घटनाओं के दौरान घायल हुए यात्रियों को यथा शीघ्र अस्पताल पहुँचाने के लिए किया जा रहा है।




महाप्रबंधक/ मध्य रेल, श्री सूद को एम्बुलेंस प्रदान करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रभात सहाय

पश्चिम रेलवे को एम्बुलेंस : एमआरवीसी की 'सी.एस.आर.' गतिविधियों के तहत यात्रा के दौरान घायल हुए यात्रियों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाने हेतु दिनांक 12 जनवरी, 2017 को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे को एक 'टाटा विंगर एसी एम्बुलेंस' सुपुर्द की गयी।



महाप्रबंधक/पश्चिम रेलवे को एम्बुलेंस प्रदान करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रभात सहाय

गोवंडी स्टेशन का सुंदरीकरण : मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि. ने अपनी सीएसआर गतिविधियों में नये आयाम जोड़ते हुए मध्य रेल की हार्बर लाईन पर स्थित गोवंडी स्टेशन का चुनाव उसका सौंदर्यीकरण व साफ सफाई हेतु किया क्योंकि टाटा संस्थान द्वारा की गई स्टडी के आधार पर यह मुंबई का सबसे कम मेंटेनेन्स वाला स्टेशन है। इसी कारण एमआरवीसी ने अपनी सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत इस स्टेशन को स्वच्छ बनाने व इसका सुंदरीकरण करने का बीड़ा उठाया। एमआरवीसी न केवल इस स्टेशन पर सफाई प्रतिदिन करवा रही है बल्कि स्टेशन परिसर व प्लेटफार्म पर पीक दान, कचरादान (सूखा/गीला कचरा अलग -अलग), के साथ दो स्मार्टबिन भी लगवाये। गोवंडी के यात्रियों को साफ-सफाई हेतु जागरुक करने के लिए नुक्कड नाटक किए गये, पोस्टर बैनर लगवाये गये तथा अनाउंसमेंट भी करवाया गया।



गोवंडी स्टेशन पर लगाए गये डस्टबिन व सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम

मध्य रेल के अतिरिक्त महाप्रबंधक श्री ए के श्रीवास्तव ने दिनांक 5 जून, 2016 को 'वैश्विक पर्यावरण दिवस' के अवसर पर गोवंडी स्टेशन का दौरा कर नुक्कड नाटक, स्मार्टबिन व पोस्टर का अनावरण किया, इस दौरान एमआरवीसी की ओर से निदेशक परियोजना श्री आर एस खुराना, मुख्य कार्मिक अधिकारी श्रीमति अलका मिश्रा, वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी श्रीमति स्मृति वर्मा भी उपस्थित थीं।



अपर महाप्रबंधक / मध्य रेल द्वारा प्लेटफार्म का निरीक्षण व नुक्कड नाटक का प्रदर्शन



अपर महाप्रबंधक द्वारा स्मार्ट बिन का अनावरण



जागरूकता हेतू पोस्टर



निदेशक परियोजना द्वारा पोस्टर का अनावरण

दिनांक 16 जून, 2016 से 30 जून, 2016 तक एमआरवीसी द्वारा गोवंडी स्टेशन पर भी 'स्वच्छता पखवाडा' का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री प्रभात सहाय ने किया।



गोवंडी स्टेशन के सौंदर्यीकरण हेतु एमआरवीसी ने जेजे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा स्टेशन की दीवार पर मुंबई की विशेषताओं, इतिहास, कलाकारों आदि की पेंटिंग बनवाई ताकि लोगों में साफ सफाई हेतु जागरूकता पैदा हो और वे परिसर को गंदा न करें।



कौशल विकास क्षमता : 'पुनरुद्धार व पुनर्वसन' क्षेत्र के निवासियों के कल्याण हेतु एमआरवीसी द्वारा अनेक योजनाएँ आयोजित की जाती है। इसी के तहत युवाओं व युवतियों के कौशल विकास को निखार कर उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन कर रहा है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें। इन कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान निम्न प्रशिक्षण आयोजित किए गए/जा रहे हैं।

क. इलेक्ट्रिशियन : 3 माह का व्यावसायिक कोर्स दिनांक 5 जनवरी, 2016 से 8 अक्टूबर, 2016 तक 20 युवाओं के लिए 'डेज़ाव्यु स्किल लर्निंग व ट्रेनिंग प्र. लि.' के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें उन्हें घरेलू विद्युत उपकरण लगाना व सुधारना, घरेलू लाईट फिटिंग करना इत्यादी सिखाया गया। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को 'बॉश' कम्पनी की टूल किट प्रदान की गई ताकि वे स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें।



ख. ई- कॉमर्स : 45-45 दिन के तीन बैच मे कुल 90 युवा/युवतियों (30 प्रशिक्षणार्थी प्रति बैच) को 'ई-कॉमर्स' (डिलिवरी एक्स्युकिटिव/कुरियर सार्टर) का व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को डिजिटल टेबलेट प्रदान किए गये तथा उन्हें विभिन्न संस्थानों जैसे- डोमिनोज़, ब्ल्यूडार्ट आदि कम्पनियों में जॉब उपलब्ध करवाये ताकि यह लोग आत्मनिर्भर बन सकें।



ग. हेल्थ एसिस्टेंट प्रशिक्षण : 6 माह का 'हेल्थ एसिस्टेंट' का प्रशिक्षण 'पुनरुद्धार व पुनर्वसन' क्षेत्र की महिलाओं व युवतियों को स्वास्थ्य संबंधि जानकारी, मरीज व बच्चों की देखभाल के लिए "डॉक्टर फॉर यू" के सहयोग से आयोजित होता है। 15-15 युवतियों के 2 बैच 1 फरवरी, 2016 से 31 जुलाई, 2016 तक व 1 सितम्बर, 2016 से 28 फरवरी, 2017 तक आयोजित किये गये /जा रहे है। प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी युवतियों को एमआरवीसी की स्वास्थ्य ईकाईयों पर नौकरियाँ भी प्रदान की गयी ताकि वे अपना जीवन यापन सहजता से चला सके।



घ. मेहंदी एप्लीकेशन : 3 माह का 'मेहंदी एप्लीकेशन' का प्रशिक्षण 'पुनरुद्धार व पुनर्वसन' क्षेत्र की महिला द्वारा 82 महिलाओं व युवतियों के लिए उपलब्ध कराया गया। प्रशिक्षण पूर्ण कर चुकी युवतियाँ अपना स्वयं का व्यवसाय करती हैं। शादी व विभिन्न कार्यक्रमों में इन्हें बुलाया जाता हैं जिससे इन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और सुख पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही हैं।




स्वास्थ्य : मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि. "डॉक्टर फॉर यू" के सहयोग से गोवंडी व मानखुर्द के 'पुनरुद्धार व पुनर्वसन' क्षेत्र में दो स्वास्थ्य ईकाईयाँ चलाता है। जिन पर "डॉक्टर फॉर यू" के डॉक्टर्स सहित लगभग 35 पैरामेडिकल स्टाफ कार्यरत है। इन ईकाईयों का उपभोग इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग देढ़ लाख लोग करते हैं। इन ईकाईयों पर सामान्य ओपीडी, डेंटल ओपीडी, शारिरिक व मानसिक रुप से अशक्त लोगों के लिए रीहेबिलिटेशन सेंटर, फिज़िओथैरेपी सेंटर, गायनॅक ओपीडी, स्किन ओपीडी, आई ओपीडी, पाँच वर्ष से कम हेतु स्पेशल ओपीडी, 60 वर्षसे अधिक हेतु स्पेशल ओपीडी तथा पैथोलोजी लैब भी है। यह स्वास्थ्य ईकाईयाँ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत है। इसके अतिरिक्त पैरा-मेडिकल टीम विभिन्न कैम्प का आयोजन करती है।

इसके अलावा डॉक्टर फॉर यू द्वारा एमआरवीसी सेन्टर पर 'सोप फॉर होप' के तहत विभिन्न पंच सितारा होटल से यूज किया हुआ साबुन एकत्रित करके उसे क्लोरीन वॉश कर व विभिन्न प्रोसेसिंग द्वारा नवीन साबुन का निर्माण किया जाता है तदोपरान्त यह साबुन 'पुनरुद्धार व पुनर्वसन' क्षेत्र में स्थित बी एम सी स्कूल के बच्चों व अन्य जरूरतमंद बच्चों में वितरित किया जाता है।

'डॉक्टर फॉर यू' की पैरा-मेडिकल टीम द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियाँ निम्नानुसार है।

दिनांक 7 फरवरी, 2016 को पनवेल के 'पुनरुद्धार व पुनर्वसन' क्षेत्र के रहिवासियों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैम्प का आयोजन किया गया



दिनांक 9 मार्च, 2016 को वाशी नाका स्थित म्यूनिसिपल स्कूल हेतु फ्री डेंटल चेकअप कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें 65 बच्चों ने भाग लिया।

दिनांक 10 मार्च, 2016 को पी अॅन्ड जी कॉलोनी, मानखुर्द में फिज़िओथैरेपी कैम्प का आयोजन किया गया जिसका लाभ 23 लोगों ने प्राप्त किया।

दिनांक 15 मार्च, 2016 को डोरस्टेप स्कूल के बच्चों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया जिसमें 39 बच्चों ने भाग लिया।



फ्री डेंटल चेकअप कैम्प

फिज़िओथैरेपी कैम्प

दिनांक 4 अप्रैल, 2016 को टीबी से सुरक्षा हेतु जागरुकता फैलाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।

दिनांक 7 अप्रैल, 2016 को नवयुवतियों को पर्सनल हाईजीन के बारे में बताने के लिए एक सेशन का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी गयी। इसमें कुल 23 नवयुवतियों ने भाग लिया।

दिनांक 20 अप्रैल, 2016 को महिलाओं हेतु एक सेशन का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें नवजात शिशु की प्रारम्भिक माह में ठीक तरह से देखभाल करना सिखाया गया।

अप्रैल माह में मानखुर्द के मंडाला (स्लम इलाका) में इम्युनाइजेशन (टीकाकरण) के कुल 5 कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें 68 बच्चों का टीकाकरण, 62 बच्चों को डिवोर्मिंग तथा 48 बच्चों को विटामिन 'ए' सप्लीमेंट दिया गया।



महिलाओं हेतु एक सेशन का आयोजन



मंडाला इलाके में टीकाकरण कैम्प का आयोजन

दिनांक 22 मई, 2016 को स्पंद अस्पताल में जागरुकता व ट्रीटमेंट सेशन का आयोजन किया गया एवं 31 मई, 2016 को 'विश्व नो-तंबाकू दिवस' के अवसर पर जागरुकता फैलाने हेतु रैली का आयोजन किया गया।



'विश्व योग दिवस' का आयोजन

दिनांक 21 जून, 2016 को
▶ 'विश्व योग दिवस' के उपलक्ष
में बच्चों के लिए योग सेशन
का आयोजन किया गया।

महान ध्येय के प्रयत्न में ही आनंद है, उल्लास है और किसी
अंश तक प्राप्ति की मात्रा भी है।

- पंडित जवाहरलाल नेहरू



दिनांक 4 जुलाई, 2016 आंगनवाडी वर्कर के लिए ऑल न्यूट्रीशन प्रेवेंशन और ट्रीटमेंट सेशन का आयोजन किया गया।

जुलाई माह में मंडाला (स्लम इलाका) में 8 इम्युनाइजेशन (टीकाकरण) कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें कुल 88 बच्चों का टीकाकरण किया गया।



आंगनवाडी वर्कर के लिए ऑल न्यूट्रीशन प्रेवेंशन और ट्रीटमेंट सेशन



मंडाला (स्लम इलाका) में टीकाकरण कैम्प

दिनांक 22 अगस्त, 2016 को स्वरगंधा नर्सरी स्कूल व अमीन फाउंडेशन स्कूल के बच्चों के लिए आई-स्क्रीनिंग कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 260 बच्चों ने हिस्सा लिया।

दिनांक 24 अगस्त, 2016 को डोरस्टेप स्कूल के बच्चों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया।

दिनांक 9 सितम्बर, 2016 को 'विश्व फिजिओथैरेपी दिवस' के अवसर पर सेंटर पर फिजिओथैरेपी कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें 17 लोगों ने भाग लिया।

दिनांक 25 सितम्बर, 2016 को डाईबिटीज व हाईपरटेंशन जागरुकता व स्क्रीनिंग हेतु कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें 256 लोगों ने हिस्सा लिया।

सितम्बर, 2016 में मंडाला (स्लम इलाका) में 11 इम्युनाइजेशन (टीकाकरण) कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें कुल 106 बच्चों का टीकाकरण किया गया।



गर्भवती महिलाओं का चेकअप करते हुए



मंडाला (स्लम इलाका) में टीकाकरण कैम्प

दिनांक 5 अक्टूबर, 2016 को “विश्व हैंडवॉश डे” के अवसर पर मानखुर्द के ‘पुनरुद्धार व पुनर्वसन’ क्षेत्र स्थित देवनार कॉलोनी बीएमसी स्कूल-II में 1000 बच्चों को एमआरवीसी द्वारा ‘सोप फॉर होप’ प्रोजेक्ट में निर्मित साबुन (साबुन दानी सहित) वितरित किए गए।



सफाई का महत्व समझाते हुए ‘डॉक्टर फॉर यू’ की टीम



मंडाला (स्लम इलाका) में टीकाकरण कैम्प

अक्टूबर, 2016 में मंडाला (स्लम इलाका) में 18 इम्युनाइज़ेशन (टीकाकरण) कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें कुल 138 बच्चों का टीकाकरण किया गया, 65 बच्चों को डिवोर्मिंग तथा 62 बच्चों को विटामिन ‘ए’ सप्लीमेंट दिया गया।

दिनांक 10 नवम्बर, 2016 को स्वास्थ्य ईकाई की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर ‘विकास शिविर’ का आयोजन किया गया जिसमें सभी प्रशिक्षण प्राप्त युवा/युवतियों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/एमआरवीसी महोदय द्वारा टूल किट, डिजिटल टेबलेट, उपहार व प्रमाणपत्र प्रदान किए गये। तथा “डॉक्टर फॉर यू” द्वारा ‘स्किन चेक अप कैम्प’ का आयोजन किया गया।



“डॉक्टर फॉर यू” की टीम द्वारा ‘स्किन चेक अप कैम्प’ का आयोजन



बुजुर्गों का निःशुल्क चेकअप



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा
“सोप फॉर होप” प्रोजेक्ट का विधिवत उद्घाटन



इलेक्ट्रीशियन के प्रशिक्षणार्थी को ‘इलेक्ट्रिक किट’
प्रदान करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



ई-कॉमर्स के प्रशिक्षणार्थी को टेबलेट व प्रमाणपत्र
प्रदान करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



हेल्थ असिस्टेंट के प्रशिक्षणार्थियों के साथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षणार्थी



ई-कॉमर्स के प्रशिक्षणार्थी

कभी भी किसी दीवार को तब तक ना गिराओ,
जब तक आपको ये ना पता हो कि यह किस लिए खड़ी की गई थी।
- इंदिरा गांधी





► इलेक्ट्रिशियन के प्रशिक्षणार्थी व प्रशिक्षक

4 दिसम्बर, 2016 को 'वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे' के अवसर पर "डॉक्टर फॉर यू" ने स्पंद अस्पताल, मानखुर्द के सहयोग से एक कैम्प का आयोजन किया जिसमें कुल 34 लोगों ने हिस्सा लिया।



फिज़िओथैरेपी कैम्प



डेंटल चेक अप

दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 से 50 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए "डॉक्टर फॉर यू" द्वारा डिग्निति फाउंडेशन के सहयोग से ज़ेरिएट्रिक ओपीडी सर्विस का प्रारम्भ किया गया। यह ओपीडी दैनिक कार्यरत है। इस ओपीडी में मरीजों का इलाज, परामर्श, दवाईयाँ, पैथोलोजी जाँच सब कुछ बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। इस ओपीडी का लाभ लगभग 60 बुजुर्ग प्रतिदिन लेते हैं।

"डॉक्टर फॉर यू" द्वारा मानखुर्द व गोवंडी के बैगनवाडी व शिवाजी नगर जैसे- झुग्गी इलाकों में इम्युनाइजेशन (टीकाकरण) कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिमाह कम से कम 40 बच्चों को टीका लगाना तय किया गया है। कैम्प के दौरान विटामिन 'ए' सप्लिमेंट तथा डीवोर्मिंग सेवा भी प्रदान की गयी, साथ ही साथ उन्हें शारिरिक स्वच्छता का महत्व समझाकर 'सोप फॉर होप' के तहत निर्मित साबुन वितरित किए गए।



मंडाला (खलम इलाका) में टीकाकरण कैम्प

पंचगनी स्थित एशिया प्लेटू संस्थान में प्रशिक्षण।

अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए दिनांक 4 नवम्बर से 6 नवम्बर, 2016 'इनिशिएटिव ऑफ चेंज' (एशिया प्लेटू) संस्थान में 'अभिप्रेरण व व्यवस्थापन संबंधि बर्ताव' हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें 35 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।।

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण के दौरान निम्न लिखित गतिविधियों का आयोजन किया गया।

लाइफ बेलेस शीट : इस सत्र के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को मन व चित्त शांत रखकर उन लोगो को याद करके डायरी में लिखने के लिए कहा गया जिन्होंने निस्वार्थ भाव से कभी भी आपके लिए कोई अच्छा कार्य किया एवं जिनके लिए आपने निस्वार्थ भाव से कभी भी कोई अच्छा कार्य किया हो। दूसरे दिन की बैलेस शीट में उन लोगों को याद किया गया जिन्हें हमने जाने अंजाने में कोई दुख पहुँचाया हो एवं जिन्होंने जाने अनजाने में हमें दुख पहुँचाया हो।

फैमिली ग्रुप मिटिंग : इस सत्र के दौरान सभी प्रशिक्षणार्थियों को चार ग्रुप में विभाजित किया गया। और प्रत्येक ग्रुप के प्रशिक्षक के साथ सभी ने समय बिताया जिसमें सभी अधिकारी व कर्मचारी आत्मियता से एक दूसरे के साथ जुड़े इस सत्र में सभी ने एक दूसरे के उन पहलूओं को जाना जिसके बारे में वह पहले नहीं जानते थे। इससे सभी में एक दूसरे लके प्रति सम्मान की भावनी जागृत हुई।

बिल्डिंग टीम रिलेशनशिप : आपसी संबंधों को प्रगाण बनाने, सही नेतृत्व, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान आपसी प्रतिस्पर्धा एक दूसरे की जानकारी का सही उपयोग करके अपने कॉर्पोरेशन को नई ऊचाइयों पर ले जाने कि लिए इस सत्र का आयोजन किया गया।

इसके अलावा एम्पटिंग योअर कप, इनर गवर्नेस पर्यावरण संबंधि संकट इंडिया आई केयर जैसे कई मनोरंजक व ज्ञान वर्धक सत्र का आयोजन 'इनिशिएटिव ऑफ चेंज' (एशिया प्लेटू) संस्थान द्वारा किया गया।



अब बात कहाँ अटकी?

अकसर यह कहा जाता है कि हाथी निकल गया, पूँछ अटक गई। पर वास्तव में उलटा है, पूँछ ही निकलती और जो व्यक्ति का हाथी रूपी सवभाव है, वह अटक जाता है। मैं इस अप्रिय कथा में आगे कुछ उदाहरण देने जा रहा हूँ कि कैसे बात अटकने के कारण प्रगती जितनी होनी चाहिए उतनी हो ही नहीं पा रही है।

उदाहरण 1: पैदल ऊपरी पुल : अब यह कोई नई बात तो है नहीं कि जनता के पैसों से ही सारी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं और उन्हीं को उपयोग कर के यात्रा सुखद बनाना है, पर ऐसा होता कहाँ है? वे ही पैदल ऊपरी पुल के मालिक हैं और वे ही उसी पुल के नीचे कट मर रहे हैं। वाह भई वाह, ऐसा बड़ा हाथी नहीं देखा! बात वहाँ अटक गई कि भई पैसे चाहे हमसे ले लो पर हमें पुल पर से चढ़ कर जाने के लिए मत कहो; वह क्यों? वह इस लिए कि कौन मरता है? मैं तो हमेशा से ही सतर्क रहा हूँ यात्रा करने में। बस दाएँ-बाएँ देखा और निकल लिए। अरे, वह मूर्ख है जो सीधे पटरी पार कर के प्लेटफार्म से प्लेटफार्म कूद के नहीं जाता है। हम तो बस सतर्क हैं और सदैव पटरी पार करते आए हैं, और नतीजा सामने हैं, देखो जिंदा हैं ना, बस और क्या चाहिए?

अब इन्हें कौन समझाए कि हर दिन सात से आठ 'पटरी-पार-श्री' कट जाते हैं, उसी पुल के नीचे जिसकी लागत वे खुद दिए हैं और बाकायदा उसके मालिक हैं। हज़ारों कट गए आँखों के सामने लेकिन फिर भी वही करते हैं जो जान लेवा होता है, बात यहीं अटक गई है, कोई हाथी को दल-दल से निकाले तो निकाले कैसे?

उदाहरण 2 : गंदगी है सदा के लिए : सफाई की मुहिम छिड़ी है, जिसके बारे में आला अफसर से लेकर कनिष्ठ कर्मचारियों, सभी यात्रियों और नागरिकों को पता है, पर फिर भी स्टेशन परिसर इत्यादि इच्छित स्तर पर साफ सुथरे नहीं रह पा रहे हैं। वह इसलिए कि बात अपने रग-रग में नहीं उतरी है ना। यदि हम ही गंदगी फैलाते हैं तो सफाई कर्मिंदल कब तक सफाई करते रहेंगे? पान की पीक बरकरार, गुटखा की पन्नी बरकरार, पानी की बोतलें बरकरार, और जहाँ भी कोना दिखे मूसला धार बरकरार। कुछ लोगों को तो दीवार की पुताई होने पर पान की पीक से रंगने में जो आनंद आता है वह शायद किसी और में नहीं। इन सब गंदगियों की सफाई से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है।

इसलिए कि हम दिल से नहीं चाहते कि सफाई रहे आस-पास, रसम अदाई यहाँ भी। किसी ने कहा तो सफाई के बारे में कुछ कर दिया फिर दुम टेढ़ी कि टेढ़ी। जब स्वच्छता रखने के सभी उपाय व प्रावधान कर दिए गए हैं, तो बात अब कहाँ अटकी है? अब घोड़े को स्वयं ही पानी पीना है, और क्या कर सकते हैं हम-आप?

दूसरी बात यह कि कूड़ा-कचरा पुनः चक्रित योग्य है यह बात ऊपर से लेकर नीचे सभी को पता है। कई देश इस प्रक्रिया को उपयोग में ला कर अपनी कूड़े-कचरे की समस्या को हल कर रहे हैं; सिर्फ हम ही पीछे रह गए हैं। आदत से मजबूर हैं साब, क्या करें? जब कोई कहेगा तब हम करेंगे; ऐसी रीति सदा चली आई, मुझ को मार्ग दिखा दो भाई

उदाहरण 3 : घाटे का सौदा : यह कोई नई बात तो नहीं कि उपनगरीय सेवाएँ चलाना एक घाटे का सौदा है। बात सही है, हर कोई सवरे उठ कर दक्षिण की ओर भागता है और शाम को जब नीम्बू निचुड़ जाता है तो घर लौटता है जो कि उत्तर में है। आला अफसर और कर्मचारी वहीं चले क्योंकि महकमाँ वहाँ है, मूँग फली बेचने वाल वही चला जहाँ गर्दी है, भेल-चाट वाला भी वहाँ चला जहाँ पब्लिक है, चाय बेचने वाला वही चला जहाँ भीड़ है और तो और फुलझड़ी भी वही चली जहाँ लट्टू हैं। अब भीड़ तो होनी

ही है; जब साहब, बीवी और गुलाम सभी दक्षिण की ओर जाएँगे तो क्या होगा? ठीक है जब माँग है तो आपूर्ति में कोताही क्यों? वह इसलिए कि इस में मामू के बकरे कुछ ज़्यादा ही चराने पड़ते हैं, वह भी सस्ते-मद्दे भाव में। जब पता चल ही गया है कि किराया किसी हाल बढ़ाया नहीं जा सकता तो किसी और स्रोत से मुआवज़ा वसूल करना चाहिए। मसलन, दक्षिण के जितने भी रेल के कार्यालय हैं अधिकांश को उत्तर या फिर उचित स्थल पर स्थानंतरित कर भवन किराए पर दे कर घाटा पूरा किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि कुछ ऐसे उपाय ढूँढ़ने होंगे। कई कर्मचारी जो हर दिन उत्तर-दक्षिण अप/डाउन करते हैं उन्हें भी राहत मिलेगी, जिस से कार्य निष्पादन में वृद्धि होगी। पर ऐसा हो नहीं रहा ना; पूँछ के सहित हाथी अटका है।

उदाहरण 4 : कागज़ के फूल : नई तकनीक का युग है सो हर दिन एक नया औजार तैयार हो कर निकल रहा है। संगणक, वाई-फाई, इन्टरनेट, वाट्सऐप वगैरह से कार्य प्रणाली में सुधार तो आ गया है लेकिन कागज़ तो अभी भी काम-काज में भारी मात्रा में उपयोग में लाया जा रहा है। कारणवश प्रिंटर और फोटो कॉपीयर भी खरीदे जा रहे हैं। कागज़ बनाने में कई पेड़ कट रहे हैं, जिसके चलते पर्यावरण पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है। यह बात सभी को पता है, पर कोई भी कागज़ के कम इस्तमाल की ओर ध्यान शायद कम ही दे रहा है। हम किसी के निर्देश या इशारे की राह क्यों देख रहे हैं, हम स्वयं ही तय कर लें कि कल से कागज़ बंद तो बंद। प्रिंटर और फोटो कॉपीयर की खरीद पर अंकुश लगाने का सुझाव है, शायद इससे कागज़ के उपयोग में रोक लगाने में सहायता मिलेगी। हाँ, जहाँ अति आवश्यक हो वहाँ अपवाद के लिए छूट; वरना रोज़-मर्रा के काम-काज में अब कागज़ के उपयोग पर रोक लगनी ही चाहिए। इस बात को लेकर कितने वर्ष हो चुके हैं लेकिन खड़े हाथी को कौन हॉके? बस बात यहाँ अटकी है सो अटकी है।

शरद कुमार मिश्र,
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक

सभी कमजोरी,
सभी बंधन मात्र कल्पना हैं...
कमजोर न पड़े !...
मजबूती के साथ खड़े हो जाओ !
शक्तिशाली बनो !
मैं जानता हूँ कि सभी धर्म यही हैं.
कभी कमजोर नहीं पड़ें.
आप अपने आपको
शक्तिशाली बनाओ...
आप के भीतर अनंत शक्ति है.

- स्वामी विवेकानंद



महानगर

यह महानगर है भाई साब, यहाँ सूर्यास्त को शाम ढलती नहीं॥
बड़े सवेरे चलती है, आँख खुलते ही, खा लेती है कल का बचा कुचा,
पी लेती है पानी संजोया हुआ, रख लेती है झोली में दाना-पानी,
और बन-ठन लेने का साज़ो-सामान, औषधियाँ, पुस्तकें, मोबाइल,
और ना जाने क्या-क्या; कमी-बेशियाँ इसे खलती नहीं,
यहाँ सूर्यास्त को शाम ढलती नहीं॥

यह कर लेती है समझौता हालातों से, बिन शिकायत के अपने-आप,
अपेक्षाएँ इतनी कि अनगिनत कल, बीत जाते हैं बेहिसाब।
भरी-लदी उपनगरीय सुविधाएँ, चल-चलाती धूप में चिड़-चिड़ाते
उपभोक्ताओं के बीच ढाल लेती है; लक्ष के आगे कष्टों से मचलती नहीं,
यहाँ सूर्यास्त को शाम ढलती नहीं॥

जितनी तत्परता से घर से चलती है, उससे कहीं अधिक लौटने में करती है।
जैसे-तैसे जल्दबाज़ी में, जान से खेल कर, वाहन गहती है,
मानो यह आज की आखरी गाड़ी हो; अपनी-अपनी मनमानी करती है,
इसी में कट-मर जाती है; देखती है कि जल्दबाज़ों की लाशें पड़ी हैं,
फिर भी वही करती है, सुधरती नहीं, यहाँ सूर्यास्त को शाम ढलती नहीं॥

अक्सर सार्वजनिक सुविधाओं को, अपना समझती है; वह इसलिए कि,
गाड़ियों बसों में ऐसा लिखा है; कभी लेती तो कभी बिना खरीदे,
टिकट के सफर करती है, पूछने पर, साफ कह देती है कि बाप की है।
यदि दादा कह दे कि बाप की है, तो सरकारी प्यादे की क्या मजाल?
चलती है अरसे से, कभी सुधरती नहीं, यहाँ सूर्यास्त को शाम ढलती नहीं॥

महानगर में तीन तरह के लोग रहते हैं, एक जो घर लौटते हैं,
परिवार के संग जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं।
दूसरे, घर के लोगों से बचने के लिए, कार्यालय का आनंद-घन लेते हैं।
लौटते तो ये भी हैं, पर शाम ढलने के बाद, ताकि बीवी की नोक-झोंक से बचा जा सके।
तीसरे, आधी रात लौटते हैं, रंग-रेलियाँ, कलियाँ, काँटे, सब का आनंद लेते हुए,
घर से मतलब बिलकुल नहीं, ये मेले में घूमते हैं, दुकान कोई और चलाता है।
महानगरी बदल जाय पर जनता बदलती नहीं, यहाँ सूर्यास्त को शाम ढलती नहीं॥

अभी अभी पता चला है, कि चौथे प्रकार के भी होते हैं लोग,
जो सप्ताह में एक बार घर लौटते हैं; घर के सदस्य जानते हैं कि,
एक व्यक्ति घर का मुखिया है, सुनते हैं कि कार्यक्षेत्र का रसिया है,
सप्ताह भर बहुत व्यस्त रहता है, क्योंकि वहाँ एक और परिवार चलाता है।
प्यार-व्यार, डाँट-डपट, खरीदी इत्यादि सब रविवार को ही कर लेता है,
फिर अगले सप्ताह ही मिलता है; इस की सेवा-निवृत्ति की तारीक निकलती नहीं,
यहाँ सूर्यास्त को शाम ढलती नहीं॥


जब तक सुविधाओं के उपयोग की बात नहीं, तब तक अमूमन सब दोस्त होते हैं।
और वही दोस्त सुविधा ग्रहण करते समय, ना जाने क्यों जानी दुश्मन ही होते हैं।
आबादी की तादाद से तंग है हर कोई, उधर जनता रोई और इधर महानगरी रोई।
यहाँ हर दूसरा व्यक्ति बाधा है, रंजिश से परेशाँ हर कोई कुछ ज़्यादा है।
सर पर सींग लगाए बिना घर से निकलती नहीं, यहाँ सूर्यास्त को शाम ढलती नहीं॥

बस यह महानगरी ही है, जहाँ सुविधाएँ सारी, सारे समय उपलब्ध रहती हैं।
खाना, दाना, पानी, पीना, टहलना, गाना, नाचना, सोंचना, नोचना इत्यादि,
सब कुछ कभी भी कर सकते हैं, आज्ञादी है, मनमानी भी कर सकते हैं।
हाँ, यहाँ हर कोई कमा लेता है 'शरद', दमड़ी से लेकर चमड़ी तक, सोना चाँदी,
हीरा, मोती, लोहा, लंगड़, झाड़, पत्ता, कुत्ता, रद्दी, कचरा, वह भी; सब बिक जाता है।
आमद-रफ्त में ज़िंदगी बदलती नहीं, जाने कब से चली है, रुकती ही नहीं॥

यह महानगर है भाई साब, यहाँ सूर्यास्त को शाम ढलती नहीं॥

शरद कुमार मिश्र

उप मुख्य परिचालन प्रबंधक



दिनांक 11 जुलाई, 2016 को एमआरवीसी के 'फाउंडेशन डे' पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अधिकारी व कर्मचारी



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



निदेशक (परियोजना)



निदेशक (वित्त)



अधिकारी व कर्मचारी कार्यक्रम का आनंद लेते हुए



लेखा विभाग



कार्मिक विभाग

दिनांक 11 जुलाई, 2016 को एमआरवीसी के 'फाउंडेशन डे' पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अधिकारी व कर्मचारी



परिचालन विभाग



संकेत व दूरसंचार विभाग



इंजिनियरिंग विभाग



इंजिनियरिंग विभाग



विद्युत विभाग



विद्युत विभाग



मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(रेल मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम)

www.mrvcl.indianrailways.gov.in

2री मंजिल, चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग, चर्चगेट, मुंबई - 400 020.